


परिवार निर्मण की विधि-व्यवस्था



- श्रीराम शर्मा आचार्य

परिवार निर्माण की विधि-व्यवस्था



लेखक :
पं. श्रीराम शर्मा आचार्य



प्रकाशक :
युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट
गायत्री तपोभूमि, मथुरा
फोन : (०५६५) २५३०१२८, २५३०३९९
मो. ०९९२७०८६२८७, ०९९२७०८६२८९
फैक्स नं०- २५३०२००

पुनरावृत्ति सन् २०१४

मूल्य : १०.०० रुपये

अनुक्रमणिका

१. परिवार को संपन्न ही नहीं, सुसंस्कृत भी बनाएँ	३
२. सुधार परिवर्तन की सरल प्रक्रिया	८
३. परिवारों को प्रगतिशील बनाने के आधार	१३
४. सुधार-विकास की पृष्ठभूमि बने	१८
५. आकर्षण और विनोद का माहौल बनाने की आवश्यकता	२४
६. श्रमशीलता एक सत्प्रवृत्ति	२६
७. सादगी, संयम और मितव्ययिता	३४
८. शिष्टता की उपयोगी रीति-नीति	४०
९. सुव्यवस्था—एक रचनात्मक प्रवृत्ति	४५
१०. उदार सहकारिता	५१



परिवार को संपन्न ही नहीं, सुसंस्कृत भी बनाएँ

व्यक्ति और समाज की मध्यवर्ती कड़ी परिवार है। वह दोनों ही क्षेत्रों को पोषण प्रदान करती है। हृदय, ऊपरी भाग मस्तिष्क, मुख एवं चेहरे के साथ जुड़ी हुई इंद्रियों को भी पोषण प्रदान करता है और नीचे के हिस्से में धड़ से जुड़े हुए अंग-अवयवों को भी। व्यावहारिक जीवन में परिवार को हृदय माना जाता है, जो अपने प्रत्येक सदस्य को परिष्कृत, परिपुष्ट बनाता है, साथ ही समाज को समुन्नत, सभ्य, समर्थ बनाने का कार्य भी करता है। इसे धड़ के हाथ-पैरों की सुरक्षा, सुव्यवस्था के समतुल्य समझा जा सकता है। इतना महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी आश्चर्य है कि परिवार को समग्र रूप से समुन्नत बनाने में न्यूनतम ध्यान दिया जाता है।

घर के कमाऊ व्यक्ति गृहपति का स्थान ग्रहण करते हैं। इन्हें वरीयता इसी आधार पर मिली हुई होती है। उनका प्रधान पौरुष भी यही रहता है। इसलिए वे अर्थ प्रधान बन जाते हैं। परिवार को सुखी-समुन्नत बनाने के लिए वे आर्थिक साधनों से ही प्रयत्नरत रहते हैं। अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, मनोरंजन के उपकरणों का बाहुल्य, महँगी पढ़ाई का प्रबंध, टाट-बाट, शान-शौकत, खर्चीली शादियाँ आदि की योजनाएँ बनती और कार्यान्वित होती रहती हैं।

धन भी निर्वाह की एक सर्वविदित आवश्यकता है। पर वह उतनी ही नहीं है, जिसके उन्माद में प्रगति की अन्यान्य आवश्यकताओं को पूरी तरह भूला दिया जाए। समग्र विकास ही वास्तविक विकास माना जाता है। यदि शरीर का एक अंग बहुत मोटा, बहुत फूला बन जाए, तो उपलब्धि नहीं वरन् बीमारी ही कहा जाएगा। इसी प्रकार परिवार की अर्थव्यवस्था तो ठीक हो, किंतु सदस्यों का स्वास्थ्य, स्वभाव, चिंतन-चरित्र लड़खड़ाने लगे और वे

दुष्प्रवृत्तियों, दुर्व्यसनों के चंगुल में फँसते जाएँ तो समझना चाहिए कि संकटों के, विग्रहों के बादल घिरने में देर नहीं। ऐसी दशा में आर्थिक संपत्तता उन दुर्गुणों की वृद्धि में ही सहायक होगी। आग में तेल पड़ने की तरह वह भड़कने ही लगेगी। इससे तो वे गरीब नफे में रहते हैं, जो रोज कमाते और रोज खाते हैं। उनके पास न वक्त खाली रहता है और न फिजूलखर्ची की सुविधा। इस विवशता के कारण उन्हें अनेक अवांछनीयताओं से बचे रहने का संयोग अनायास ही मिल जाता है। कुसंग में पड़ने के लिए भी उनके पास फालतू समय नहीं रहता। दुर्व्यसन खरीदने के लिए जेब में पैसा नहीं रहता। यह स्थिति संपत्र समुदाय में उपहासास्पद भले ही हो पर जीवन के स्वस्थ विकास का कुमार्ग न अपना पाने का सुयोग-सौभाग्य तो मिलता ही रहता है।

परिवार के संचालक उत्तरदायी सदस्यों को दृष्टिकोण में विशालता और समग्रता रखनी चाहिए। उन्हें बारीकी से देखना चाहिए कि उनका श्रम, समय, कर्तव्य और उत्तरदायित्व परिजनों के लिए अर्थ साधन जुटाने में ही तो समाप्त नहीं हो रहा है। यदि ऐसा ही है, तो अपनी भूल माननी चाहिए और विचार करना चाहिए कि जीवन विकास के लिए जिन अन्य तथ्यों की आवश्यकता है, उनकी ओर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं ? उनके संबंध में सतत प्रयत्नशील रहा जा रहा है या नहीं ?

निर्वाह साधनों की तरह स्वास्थ्य भी एक महती आवश्यकता है। उसे वास्तविक और आधारभूत संपदा माना जाना चाहिए। किंतु साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस लक्ष्य की प्राप्ति बहुमूल्य स्वादिष्ट ब्यंजनों या पौष्टिक दवाओं के सहारे नहीं हो सकती। इस हेतु प्रकृति का अनुसरण करना पड़ेगा। इंद्रिय संयम बरतना पड़ेगा। आहार में ही नहीं विहार में भी समग्र संयम का समावेश करना पड़ेगा। अधिकांश लोग आवश्यकता से अधिक मात्रा में अभक्ष्य पदार्थों का समय-कुसमय चर्वण करते रहते हैं। यह भूल तो देखने में तनिक-सी प्रतीत होती है। पर वास्तव में दुर्बलता, रुग्णता और अकाल मृत्यु का वही मूलभूत कारण है। रसोईघर में क्या बने, किस

प्रकार बने और उसे कौन, कितनी मात्रा में, किस प्रकार खाए इसकी सुव्यवस्था बना लेना घर को एक ऐसी सुरक्षित किला बना लेना है, आहार, श्रम और दिनचर्या में सुव्यवस्था का नियमन एक ऐसा सिद्धांत है, जिसका ठीक तरह परिपालन करते रहने पर स्वस्थ रहने की गारंटी मिल जाती है। स्वास्थ्य संरक्षण के बहाने उन नियमों-अनुशासनों के साथ संबंध जुड़ जाता है, जो न केवल स्वस्थता को संभालते हैं वरन् जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति का पथ प्रशस्त करते हैं।

अभिभावक उचित-अनुचित तरीकों से अपनी, परिवार की संपत्ति बढ़ाने में जुटे रहते हैं। इसी में वे अपना गौरव मानते हैं और वर्तमान तथा भविष्य को सुख-शांति से भरा-पूरा होने की कल्पना करते रहते हैं। पर परिणामतः होता इससे ठीक विपरीत ही है। कारण कि जिस वस्तु का समुदाय बन आता है, वह चाहे कितनी ही मूल्यवान होने पर भी विपरीत परिणाम ही उत्पन्न करती है। संपदा भी उसके अनावश्यक मात्रा में होने पर अपव्यय सूझता है। उसके बदले व्यसन और दुर्गुणों का पिटारा पत्ते पड़ता है। जिस कमाई को अपने निज के कठोर परिश्रम से अर्जित नहीं किया गया है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता और न उसके सदुपयोग द्वारा कारगर लाभ उठाने का सुयोग हस्तग्रस्त होता है। संपदा के बदले खरीदे गये दुर्गुण जीवन के साथ जोंक की तरह चिपक जाते हैं और खून पीते रहते हैं। उनके रहते न किसी की सभ्य समाज में गणना होती है, न प्रामाणिकता और विश्वसनीयता हाथ लगती है। इस अभाव में किसी का सच्चा सहयोग एवं सद्भाव भी उसके हाथ नहीं लग पाता। प्रगति के अवसर सामने तो आते हैं पर उन्हें उत्साहपूर्वक अपनाए न जाने पर वापिस लौट जाते हैं। संपत्ति विलासिता सिखाती है, आलसी, प्रमादी और अहंकारी बनाती है। इस यथार्थता को न समझ पाने वाले ही यह सोचते रहते हैं कि धन-वैभव ही सब कुछ है। उसकी बड़ी मात्रा हाथ लगाने पर उसके बदले सुख-सुविधा के प्रचुर साधन कमाए जा सकते हैं। मान्यता अपनी जगह बनी रहने

पर भी वह फलित नहीं होती। अनुभव की कस्तूरी पर वह खोटे सिक्के की तरह निरर्थक सिद्ध होती है।

होना यह चाहिए कि परिवार को सुसंपन्न बनाने के लिए जितना प्रयत्न किया जाता है, उसकी अपेक्षा उसे सुसंस्कृत, सद्गुणी बनाने का प्रयत्न किया जाए, क्योंकि यही संपदा है, जो जीवन भर साथ देती है। कठिनाइयों का बोझ उतारती और प्रगति का पथ प्रशस्त करती है। सद्गुणी अपनों के बीच ही नहीं परायों के बीच भी सम्मान और सहयोग प्राप्त करता है। उसके कारण व्यक्तित्व का वजन बढ़ता है। किसी भी क्षेत्र में उसका बढ़ा-चढ़ा मूल्यांकन होता है। यही वह आधार है, जिसके कारण जन साधारण का स्नेह, सहयोग और सद्भाव पाया जाता है। जिसके पास यह उच्चस्तरीय पूँजी है, उसे निर्वाह के स्वल्प साधन रहते हुए भी आत्म-संतोष एवं लोक-सम्मान की कमी नहीं रहती। जो इतना अर्जित कर सका उसे सामान्य सुविधाओं के रहते भी ऐसा अनुभव नहीं होता कि वह दरिद्र है। दूसरे सुसंपन्नों की तुलना में उन्हें कम प्रसन्नता मिल रही है।

परिवार को सुसंपन्न बनाने के व्यापक प्रचलन में हेर-फेर होना चाहिए। सोचा जाना चाहिए कि इस ललक को अतिशय मात्रा में पालने का दुष्परिणाम ही सामने आकर रहेगा। अस्तु हितैषी होने का दावा करते हुए भी वस्तुतः परिजनों के अनहित का सरंजाम नहीं जुटाना चाहिए। जितना निर्वाह के लिए नितांत आवश्यक है उतना ही कमाया जाए, ताकि किसी को पूर्वजों की कमाई पर गुलचर्च उड़ाने, बैठे-ठाले दिन काटने की ललक न उठे। परिवार के हर सदस्य को यह सोचने देना चाहिए कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है, स्वावलंबी बनना है। सही बात भी यही है। संसार के हर प्रगतिशील को सद्गुणों की पूँजी ही आरंभ से अंत तक काम देती रही है। उसी के सहारे अपने को समर्थ, सुयोग्य और प्रामाणिक सम्मानित बनने का अवसर मिलता रहा है। यही है वह अवलंबन जिसने मनुष्य को आगे बढ़ाया, ऊँचा उठाया है। इस संपदा की महत्ता से परिवार का ध्यान हटा देना उन्हें भी भ्रमजाल में फँसा देने के बराबर है। वैभव का अतिशय महत्त्व समझने-समझाने से किसी का भी हित साधन

नहीं होता। दूरदर्शिता की तनिक भी कमी रही तो उसका सदुपयोग नहीं बन पड़ता। ऐसी दशा में जिस अवलंबन को सब कुछ समझा या समझाया गया था वह धोखे की टट्टी भर साबित होता है। वैभव की सनक में आमतौर से लोग व्यक्तित्व में उत्कृष्टता का समावेश करने की आवश्यकता को समझ नहीं पाते और वैभव के साथ-साथ दुर्गुणों का जखीरा जमा करते जाते हैं।

विलासिता मनुष्य को स्वजनदर्शी बनाती है। वह वर्तमान की तरह भविष्य को भी सदा सुख-सुविधाओं से भरा-पूरा रहने की आशा करता रहता है। जबकि सही बात यह है कि प्रतिकूलता की हवा बहने लगने पर वह ताश का बना कात्पनिक महल देखते-देखते धराशायी हो जाता है। तब तक समय निकल चुका होता है और नए सिरे से सद्गुणों की संपदा अर्जित कर सकना कठिन हो जाता है।

शिल्प, संगीत, साहित्य, कला कौशल अर्जित करने के लिए जिस प्रकार दीर्घकालीन और अनवरत अभ्यास करना पड़ता है। उसी प्रकार सद्गुणों को स्वभाव का अंग बनाने के लिए, उन्हें दैनिक जीवन में भरपूर स्थान देने के लिए प्रयत्नरत रहना पड़ता है। आदतों देर में पक्की हैं। वे हथेली पर सरसों जमाने की तरह न तो तुर्त-फुर्त उपलब्ध होते हैं और न जमी हुई आदतों से पीछा छुड़ाना जल्दी से संभव हो पाता है। उन्हें योजनाबद्ध रूप से अपनाना और क्रमबद्ध रूप से व्यवहार में उतारना पड़ता है। परिवार के वरिष्ठों का ध्यान इसी केंद्र पर केंद्रित रहना चाहिए और उन्हें अपने परिजनों को सुसंस्करी बनाने के लिए परिपूर्ण सतर्कता के साथ अनवरत प्रयत्न करना चाहिए। इस कार्य में अपना समय और परिश्रम लगाने में कृपणता नहीं बरतनी चाहिए।



सुधार परिवर्तन की सरल प्रक्रिया

जिस प्रकार कृषि, व्यवसाय, उद्योग, शिल्प आदि में उसकी समग्रता अर्जित करने के लिए पूरा ध्यान देना पड़ता है। उसी प्रकार परिवार संचालन में भी सतर्कता बरतनी पड़ती है। यदि उसका एक भी पक्ष गड़बड़ाने लगे, तो छोटे पुर्जे भी खराबी से पूरी मशीन बंद हो जाने जैसा संकट उठ खड़ा होता है। संपत्ति कितनी ही आवश्यक वयों न हो, पर वही सब कुछ नहीं है। कई बार तो वह सर्प को टूट पिलाने की तरह अनर्थकारी भी बन जाती है। दुर्गुणों को पोषण मिलता है और वे दुष्प्रवृत्तियों का रूप धारण करके ऐसे संकट खड़े करते हैं, जिनसे गरीब मध्यवर्ती लोग सहज ही बच जाते हैं।

मनुष्य जीवन की प्रगति और अवगति का प्रधान कारण है—उसके व्यक्तित्व का स्तर। वह यदि सुसंस्कृत-सुविकसित हो, तो समझना चाहिए कि उत्कर्ष-अभ्युदय के सारे खोत खुल गए। सुख शांति से रहने, साथियों की प्रसन्नता, कृतज्ञता, सहकारिता प्राप्त होते रहने के सरंजाम जुट गए। यदि इसके विपरीत कहीं व्यक्तित्व गया-गुजरा, हेय और अनगढ़ रहा, तो समझना चाहिए कि प्रचुर सुविधा-साधन होते हुए भी चिंतन, चरित्र और व्यवहार में विकृतियाँ भरे रहने के कारण परिस्थिति विग्रहकारी ही बनी रहेगी। न स्वयं चैन से रहना बन पड़ेगा और न साथियों को संतुष्ट रख सकना। उलझी हुई समस्याएँ और भी अधिक उलझती जाएँगी और उस जाल-जंजाल से निकल सकने के लिए कोई उपाय न सूझ पड़ेगा। ऐसी दशा में स्वजन-संबंधी भी कोई कारगर सहायता कर सकने में समर्थ न हो सकेंगे। जीवन रोते-रुलाते, गिरते-गिराते व्यतीत होगा। भले ही दोष किसी का समझा जाता रहे। संसार दर्पण की तरह है। उसमें अपना प्रतिबिंब परिलक्षित होता है। जो गए-गुजरे स्तर के हैं, उन्हें प्रगति और प्रसन्नता का अवसर कभी भी न मिल सकेगा।

इस तथ्य को समझते हुए परिवार के छोटे-बड़े सभी सदस्यों के गुण-कर्म-स्वभाव में शालीनता के समावेश का निरंतर प्रयास होना चाहिए। इस कार्य में परिवार के वरिष्ठ एवं समझदार लोगों का विशेष उत्तरदायित्व है। श्रमशीलता, शिष्टता, मितव्ययिता, व्यवस्था एवं सहकारिता के पंचशीलों को पाँच देवों की तरह आराध्य मानने की बात हर एक के गले उतारनी चाहिए। उनकी महिमा एवं महत्ता विस्तारपूर्वक समझानी चाहिए। सीधे ऐसे परामर्श काम न करते हों, तो फिर दूसरा तरीका एक ही बच जाता है कि प्रगतिशील लोगों के जीवन-चरित्रों, संस्मरणों के प्रेरक प्रसंग समय-समय पर सुनाते रहा जाए। अच्छा तो यह है कि रात्रि को अवकाश के समय घरेलू मनोरंजन की तरह कथा-कहानियाँ कहते रहने का क्रम चलाया जाए, यह सद्-विषयक पुस्तकों के सहारे हो सकता है। घर में ऐसा साहित्य रहना ही चाहिए, जिसे पढ़ने-सुनने से उत्कर्ष की दिशाधारा का परिचय मिले। कहानियाँ स्वयं में एक अच्छा मनोरंजन हैं। उसमें लोक रुचि भी होती है। पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों पर तीन-चौथाई कथा-साहित्य मिलता है, क्योंकि माँग और बिक्री भी उसी की रहती है। वेद केवल चार बनकर ही समाप्त हो गए, पर पुराण अठारह बने। इतना ही नहीं इसके बाद अठारह उप-पुराण भी बने। इनमें से प्रत्येक का कलेवर इतना बड़ा है, जिसे वेदों-उपनिषदों की तुलना में कहीं अधिक विस्तार वाला देखा जा सकता है। यह कथा सुनने की लोक रुचि का प्रमाण है। वह छोटों से लेकर बूढ़ों तक को समान रूप से प्रिय होता है।

पंचतंत्र ग्रंथ के निर्माण की कथा प्रसिद्ध है। एक राजा के लड़के बड़े उजड़ड थे। पढ़ाने वाले किसी अध्यापक को टिकने न देते थे। पढ़ने-लिखने में तनिक भी रुचि नहीं लेते थे। राजा को चिंता हुई कि इनका भविष्य कैसे बनेगा ? उसने घोषणा की, कि जो अध्यापक हमारे लड़कों को पढ़ाने और सुधारने में सफल होगा, उसे मुँह माँगा पुरस्कार दिया जाएगा। कई विद्वान आए और हार मानकर वापस लौट गए।

अंत में एक विष्णु शर्मा नामक विद्वान आए। उन्होंने नया बीड़ा उठाया और नया तरीका अपनाया। वे मात्र कहानियाँ सुनाते थे। राजकुमारों की धीरे-धीरे इसमें दिलचस्पी बढ़ी और वे देर तक अध्यापक के पास बैठकर कहानियाँ सुनते रहते। वे कथाएँ बड़ी सारगर्भित होती थीं। उनमें जीवन विकास के तथ्यों का भरपूर समावेश रहता था। सुनने वाले लड़कों के मन में वे तथ्य भी उत्तरते गए। उन्हें अपने भविष्य और विकास के संबंध में सोचने का अवसर मिला। फलतः उनकी विचारधारा बदलती चली गई। वे सही मार्ग समझने के साथ-साथ उस पर चलने भी लग गए। इस प्रकार कुछ ही दिन में उनकी समस्त गतिविधियाँ संतोषजनक एवं उत्साहवर्धक बन गई। पढ़ने-लिखने लगे। धीरे-धीरे ऐसे बन गए, जैसा कि राजा चाहता था। पंडित को मुँहमाँगा पुरस्कार मिला और वह कथा ग्रंथ पंचतंत्र के नाम से लोकप्रिय हुआ।

यह एक घटना भर है, जिसने पुराने समय की सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की। अब जीवन के अनेक पक्ष प्रकाश में आए हैं। समस्याएँ प्रकट हुई और अनेक समाधान आवश्यक जान पड़े हैं। अस्तु कथा साहित्य भी समय के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा अनुरूप जो व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों पर प्रकाश डाल सकने में सक्षम हो।

दुर्भाग्य एक ही है कि लेखकों, प्रकाशकों और बुक्सेलरों की फौज खड़ी हो जाने पर भी ऐसा साहित्य नहीं सृजा जा सका, जो व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता पूरी करने में कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सके। कुत्साओं को भड़काने वाला, दिशा भ्रम उत्पन्न करने वाला साहित्य तो नित्य-नए पहाड़ की तरह उपजता चला जाता है, पर उसमें दिशा-बोध करा सकने वाली क्षमता नहीं के बराबर होती है। उतने पर भी उपयोगिता का बीज नाश नहीं हुआ है। ढूँढ़ने पर सत्साहित्य भी मिल ही जाता है। भले ही वह “खोदा पहाड़ निकली चुहिया” वाली उक्ति ही चरितार्थ करता हो। भले ही स्वल्प मात्रा में जहाँ-तहाँ उपलब्ध क्यों न होता हो ? ढूँढ़ने वाले कोयले की खदान में हीरा ढूँढ़ लेते हैं। खारे समुद्र में गोता लगाकर मोती बटोर लाते

हैं, तो कोई कारण नहीं कि व्यक्तित्व विकास में सहायक सिद्ध होने वाला साहित्य कहीं-न-कहीं से काम चलाऊ मात्रा में खोजा न जा सके। इसी की घरों में अवकाश के समय पढ़ने की, सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह सामग्री विवेचनापरक भी हो सकती है और कथा-प्रसंगों से संबंधित भी। दोनों ही पक्ष उपयोगी हैं। बच्चों की समझ में कहानियाँ ही आती हैं, पर बड़े तो विचारोत्तेजक सामग्री में भी रस ले सकते हैं और उस आधार पर ऐसा बहुत कुछ हृदयंगम कर सकते हैं, जो समुन्नत-सुसंस्कृत बनाने में उत्साहवर्धक रूप में सहायक सिद्ध हो सके।

यों निजी विचार-विनिमय का भी महत्त्व है और उस आधार पर भी परिवार के सदस्यों के साथ उनकी स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप विचार-विनिमय किए जाते रहने का क्रम चलता रह सकता है। वार्तालाप और परामर्श मात्र भौतिक आवश्यकताओं के संबंध में नहीं होते रहने चाहिए, वरन् वार्तालाप इस संदर्भ में भी होते रहना चाहिए कि चिंतन और चरित्र में अपेक्षाकृत कैसे अधिक सुधार तथा विकास किया जा सकता है। इसमें भिन्न-भिन्न लोगों के लिए उनकी स्थिति को देखते हुए अलग-अलग प्रकार के परामर्श आवश्यक हो सकते हैं। हर व्यक्ति की समस्याएँ भिन्न-भिन्न हैं। हर किसी को अपनी स्थिति के अनुरूप प्रगतिशीलता की ओर अग्रसर करने वाला व्यावहारिक परामर्श चाहिए। मात्र सिद्धांतों की चर्चा विवेचना भर कर देने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए भिन्न-भिन्न स्तर का परामर्श, मार्ग-दर्शन चाहिए। उसे समय-समय पर उपलब्ध कराते रहना परिवार के प्रभावशाली सदस्यों का काम है।

इस संदर्भ में एक बड़ी कठिनाई यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने सुधार के संबंध में दूसरों का परामर्श रास नहीं आता, इसमें वह अपना अपमान समझता है। सभी की मान्यता है कि दुनियाँ में डेढ़ अकल है, जिसमें से एक उसकी और आधी समस्त संसार की। अपने को हर कोई सर्वज्ञ सर्व सुयोग्य मानता है। कोई जब उसकी समीक्षा करता है, तो उसे इसमें अपमान लगता है और बताने वाले को अपना विरोधी-विद्वेषी मान बैठता है। इस मनोवैज्ञानिक

कठिनाई से बचने का एक ही उपाय है कि सीधी शिक्षा न देकर किसी अन्य की घटना का संदर्भ देते हुए उसे तथ्य से अवगत कराया जाए। यह कार्य कहानियों, संस्मरणों के माध्यम से अधिक अच्छी तरह हो सकता है। वह उपलब्ध न हो, तो विवेचनात्मक पुस्तकों के वे अंश विशेष अनुरोध करके पढ़ाए-सुनाए जा सकते हैं, जिनमें उनकी निजी समस्याओं पर सार्वजनिक रूप से प्रकाश डाला गया है। यदि उस प्रकार की पुस्तक का लेखक कोई प्रामाणिक व्यक्ति हो तो और भी अच्छा। ऐसी दशा में यह कहा जा सकता है कि यह परामर्श उन लेखक महोदय का है, जो तुम्हारे लिए फिट बैठता है। इस पर विचार किया जाए और यदि उचित समझा जाए, तो उस परामर्श को अपना लिया जाए। यह तरीका अधिक सटीक और प्रभावशाली है।

गीता के प्रतिपादनों को इसलिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है कि वह भगवान कृष्ण के मुख से कही गई है। यदि इस संदर्भ को हटा दिया जाए और उन्हीं प्रतिपादनों को अपने विचार कहकर सुनाया जाए, तो उसकी उपेक्षा ही होगी और मान्यता देने में संदेह भी बना रहेगा। यही बात अन्य प्रसंगों के संबंध में भी है। घर के लोगों को कोई सिद्धांत की बात—उनके स्वभाव से विपरीत कही जाए तो 'घर का जोगी जोगना—आन गाँव का सिद्ध' वाली कहावत सिद्ध होती है। जिन लोगों के साथ-साथ रहना होता है, उन्हें अति परिचय के कारण सामान्य समझा जाता है और महत्त्व नहीं मिलता। इस कठिनाई से पार पाने का यही तरीका ठीक पड़ता है कि जो सुधार-परिवर्तन घर वालों में कराए जाने हैं, उनके संबंध में आवश्यक शिक्षा स्वयं के विचार न बताकर किसी प्रामाणिक व्यक्ति का मतव्य बताया जाना चाहिए। यही बात कथा-संस्मरणों के माध्यम से भी गले उतारी जा सकती है।

प्रयत्न जारी रखा जाए। निराश न हुआ जाए। प्रगति धीमे क्रम से होती हो तो भी धैर्य रखा जाए। सतत् प्रयास निष्कल नहीं जाते। वे समयानुसार फलित होते और अपना लक्ष्य पूरा करके रहते हैं।



परिवारों को प्रगतिशील बनाने के आधार

वार्तालाप में बड़ी शक्ति है, यह तथ्य सही होने पर भी यह समझ रखने की आवश्यकता है कि वह गहराई तक प्रवेश नहीं कर पाता। ऊपरी सतह तक ही सीमित होकर रह जाता है। मुख्य तथ्य है मनुष्य के जीवन का स्वरूप। उसी से संपर्क में आने वाले लोग प्रभावित होते हैं। यदि निज का चरित्र उन तथ्यों से तालमेल न खाता हो, जो कि दूसरों को परामर्श दिया जाता है, तो उसका प्रभाव नगण्य जितना होकर ही रह जाता है।

कुमार्गामिता की शिक्षा रास्ता चलतों से भी ली जा सकती है। कुसंग का प्रभाव जादू जैसा आकर्षक होता है। लुच्चे-लफंगे किसी भले आदमी को भी तनिक-से प्रयत्न से कुमार्ग पर घसीट ले जाते हैं, पर आदर्शों की ओर अग्रसर कर सकना सहज-सुलभ नहीं है। उसके लिए तर्क परामर्श ही काफी नहीं है, अपितु ऐसा व्यक्तित्व भी सामने रहना चाहिए, जो उपदेशों के व्यावहारिक होने का प्रमाण अपने व्यक्तित्व के आधार पर प्रकट कर सके। जुआरी, दुराचारी, व्यसनी अपने जैसे अनेकों को सरलतापूर्वक बना लेते हैं। यह सफलता उन्हें इसी कारण मिल पाती है कि दुराचार में उनका पर्याप्त विश्वास होता है। उसे अपने चरित्र व्यवहार में उतारे हुए होते हैं। उनका परामर्श और चरित्र एक जैसा होता है, भले ही वह बुरे स्तर का ही कर्यों न हो। ऊँचा उठाने की शिक्षा तो अनेकों देते हैं, पर उसका प्रभाव-परिणाम नगण्य जितना ही रहता है। कारण स्पष्ट है। उनकी निज की वास्तविकता ऐसी नहीं होती, जो दूसरों के कानों से आगे बढ़कर अंतराल तक पहुँच सके। ऐसी दशा में उसका प्रभाव स्वत्प्य होना स्वाभाविक है। यह तथ्य परिवार निर्माण के बारे में विशेष रूप से लागू होता है। यदि घर के प्रभावशाली लोग हेय स्तर का जीवन जी रहे होंगे, अपने क्रिया-कलाप में शालीनता सम्मिलित किए हुए न

होंगे, तो स्पष्ट है कि उनके द्वारा किए गए सुधार-प्रयत्नों को सफलता नहीं ही मिलेगी। दूसरों से सज्जनता-सदाशंयता की आशा करना और स्वयं की गतिविधियों को हेय बनाए रहना उपहासास्पद स्थिति ही उत्पन्न करता है। उस प्रभाव से कोई धूर्तता तो सीख सकता है, पर शालीनता की प्रेरणा ग्रहण नहीं कर सकता। पानी का स्वभाव ढलान की ओर बह चलने का है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति किसी को भी नीचे की ओर खींचती है, पर ऊँचा उठाने, ऊपर उछालने के लिए विशेष शक्ति लगाने की, विशेष साधन जुटाने की आवश्यकता पड़ती है। कुएँ से पानी निकालने में क्या प्रयत्न करना पड़ता है यह सभी जानते हैं। जीना चढ़ने में भी थकान आती है, पर नीचे की ओर कुछ ही प्रयत्न से सहज रूप से गिराया जा सकता है। परिवार वालों को कुसंस्कारी शिक्षा कर्हीं से भी मिल सकती है। सारा वातावरण ही अनौचित्य से भरा पड़ा है। जन-समुदाय भी दुष्प्रवृत्तियों का शिकार पाया जाता है। इससे निकृष्टता को ही व्यावहारिक मान बैठना और उसे ही अपना लेना अप्रत्याशित नहीं है। आग सूखी लकड़ी को सहज ही पकड़ लेती है। दुर्बल मनोभूमि वाले प्रतिभाशाली अनाचारियों को अपना मार्गदर्शक मान लेते हैं। पर जब देखा जाता है कि आदर्शवाद को व्यवहार में उतारने वालों की सर्वथा कमी है, तो उसे सामान्यजन अव्यावहारिक ही मान बैठते हैं और सदुपदेशों को इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं।

जिन्हें वस्तुतः अपने परिवार से, प्रियजनों से सच्चा प्यार हो, उन्हें सन्मार्ग की राह पर चलने की ही प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी आधार पर भौतिक एवं आत्मिक जीवन में ऊँचा उठा जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। प्रगति की चिरस्थायी उपलब्धियाँ व्यक्तित्ववानों को ही हस्तगत होती हैं। दुर्बुद्धिग्रस्त लोग अपनी अप्रामाणिकता के कारण हर किसी की दृष्टि में गए-गुजरे स्तर के ही जँचते हैं। उनका न कोई सच्चा मित्र होता है और न प्रगति में सहायता कर सकने वाला सहयोगी। इसलिए जिनका भी भविष्य उज्ज्वल बनाना हो, उन सबको शालीनता के सद्गुणों से संपन्न करने का समग्र प्रयत्न करना चाहिए।

दूसरों को सुधारने से पहले अपने को सुधारना पड़ता है। खिलौने या औजार ढालने के लिए पहले सही साँचा बनाना पड़ता है। यदि साँचे में खोट रहेगा तो फिर संपर्क में आने वाले को भी औंधे-तिरछे ढालता रहेगा। परिवार सुधार का प्रथम चरण यही है कि जैसा कुछ परिवार को बनाने-चलाने की इच्छा है, उसके अनुरूप अपने को बनाने की प्रक्रिया से किया जाए। नमूने का मॉडल सामने रहने पर ही तदनुरूप प्रतिमाएँ गढ़ी जाती हैं। इस प्रयास में छद्म नहीं चल सकता। वास्तविकता छिपती नहीं, वह सिर पर चढ़कर बोलती है। विशेषतया दुष्प्रवृत्तियों के संबंध में तो यह बात शत-प्रतिशत लागू होती है। उन पर पर्दा नहीं डाला जा सकता है। वे अपनी वास्तविकता से दूसरों को अनायास ही अवगत कराती रहती हैं। भीतर कुछ बाहर कुछ वाली उक्ति अजनबी-अपरिचितों पर तो किसी सीमा तक चल भी जाती है, पर जो निरंतर साथ रहते हैं, वे भले ही सदगुणों की ओर ध्यान न दें, पर दुर्गुणों की गंध तो सहज ही सूँघ लेते हैं। उनके साथ दुराव की आँख-मिचौनी चल नहीं पाती।

इस तथ्य को भली प्रकार हृदयांगम करना चाहिए और घर के विचारशील वरिष्ठों को अपना उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे संपर्क में आने वाले बाहर वालों और घर वालों को समान रूप से प्रभावित कर सके।

किसके मन में क्या है ? कौन क्या सोचता-मानता है ? इसका पता लगा सकना हर किसी के लिए कठिन है। जो कुछ जाना जाता है, उसमें प्रत्यक्ष क्रिया-कलाप ही प्रमुख होता है। सामान्यतया उसी से किसी का मूल्यांकन होता है। इसलिए मात्र चिंतन को ही नहीं चरित्र को भी महत्व दिया जाता है। कौन क्या सोचता है ? क्या चाहता है ? उसकी मोटी जानकारी उसके कथन से नहीं, क्रिया-कलापों से लगती है। परिवार को किस दिशा में ले चलना है, उसके लिए परामर्श मात्र तो अपर्याप्त ही बने रहेंगे। उनके सामने ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण रहना चाहिए, जो सदाशयता को व्यावहारिक सिद्ध कर सके। ये प्रमाण कहीं बाहर से नहीं ढूँढ़े जा सकते। उसे अपने आपको

सुसंस्कारिता के ढाँचे में ढालकर ही किसी पर प्रभाव डाल सकने योग्य बनाया जा सकता है।

पुरातन काल में बच्चों को गुरुकुल भेजने की व्यवस्था थी। वहाँ पढ़ाई तो साधारण ही होती थी, पर संचालक शिक्षकों का स्तर असाधारण रूप से ऊँचा रहता था। वहाँ का अनुशासन और वातावरण भी। वहाँ पढ़ाई नहीं, परिस्थिति ही विद्यार्थी को ढालती थी। अब वे परिस्थितियाँ नहीं रहीं। अध्यापकों के जिम्मे स्कूली पढ़ाई पूरी कराने का काम ही इतना होता है कि वे शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत जीवन में चल रहे उतार-चढ़ावों को कैसे देख-समझ सकें? फिर स्वयं भी उन्हें व्यक्ति निर्माण में उतनी दिलचस्पी भी नहीं होती और योग्यता भी नहीं। स्कूल का वातावरण भी ऐसा नहीं होता कि उससे शिक्षार्थी प्रभावित होकर उत्कर्ष की दिशा अपना सके। छात्रावासों की भी ऐसी ही परिस्थिति है। ऐसी दशा में अपने घर को ही गुरुकुल बनाना और गृह संचालकों को ही अधिष्ठाता की भूमिका निभाने के लिए नए सिरे से प्रयत्न करना होगा। बच्चों के प्रति एक आँख दुलार की, दूसरी सुधार की रखकर घलना होगा।

बात बच्चों तक ही सीमित नहीं है। व्यक्तित्व की दृष्टि से वयस्क और बूढ़े भी अविकसित की श्रेणी में आते हैं। भले ही उनकी आयु कितनी ही बड़ी क्यों न हो? इस संदर्भ में पढ़े और बिना पढ़े एक ही श्रेणी में आते हैं। सभी को पूर्वाग्रह-दुराग्रह धेरे होते हैं। काम-काज की दैनिक गतिविधियों के संबंध में भले ही उनसे कुछ कहना-सुनना संभव न हो, पर जहाँ तक आदतें बदलने का संबंध है, वहाँ तक वे अपनी ही आदतों और गतिविधियों को सही मानते-बताते रहने के मूड में होते हैं। उनमें आदर्शवादिता-प्रगतिशीलता की मान्यताएँ गले उतारना और भी अधिक कठिन पड़ता है। बच्चों की अपेक्षा बड़ों के साथ निपटना और भी अधिक कठिन पड़ता है। गीली लकड़ी आसानी से मोड़ी जा सकती है, पर सूख जाने पर तो अकड़ी ही रहती है और मोड़ने का प्रयत्न करने पर टूट जाने की धमकी देती है। ऐसी दशा में उन्हें बड़ी चतुरता-बुद्धिमत्ता और धैर्य के साथ ही धीरे-धीरे करके राह पर लाया जा सकता है। उन्हें

अनगढ़पन की हानियाँ बताने की अपेक्षा यह अधिक उपयुक्त है कि सत्प्रवृत्तियों को अपनाने से होने वाले लाभों को अधिक विस्तार सहित प्रमाण-उदाहरणों के साथ बताया जाए और उन्हें उस प्रस्तुतीकरण पर विचार करने भर के लिए अनुरोध किया जाए। कोई बात भर्त्सना-निंदा के रूप में न कही जाए। यह बात छोटों एवं वयस्कों के संबंध में भी लागू होती है।

परिवार को जिस राह पर चलना है, सबसे पहले उस पर स्वयं चल पड़ना चाहिए और दूसरों का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करना चाहिए। प्रभावी तरीका यही है। इसी उपाय से परिवार की स्थिति में अभीष्ट सुधार परिवर्त्तन किया जा सकता है।

सिद्धांतों की अवधारणा का अपना महत्व है। मान्यताओं की कद्र की जानी चाहिए और उनकी प्रशंसा होनी चाहिए पर बात इतने भर से ही समाप्त नहीं हो जाती। होना यह भी चाहिए कि प्रत्यक्ष गतिविधियाँ भी उसी स्तर की हों—आदतें भी उस प्रकार की हों, क्रिया-कलापों में वैसा ही समन्वय हो। यों दूसरों को बहकाने के लिए छद्म आचरण भी किए जा सकते हैं। प्रपंच-पाखंडों से भी किन्हीं को किसी सीमा तक बहकाया जा सकता है, पर काठ की हाँड़ी बार-बार नहीं चढ़ती, दूरवर्ती भले ही इस प्रकार के भ्रम में कुछ समय तक भ्रमग्रस्त रखे जा सकें, पर उनका टिकाऊ प्रभाव नहीं रहता। उसके लिए तो वास्तविकता का गहरा पुट होना ही कारगर सिद्ध होता है।

निरीक्षण करना चाहिए कि अपने गुण-कर्म-स्वभाव में दोष-दुर्गुण कहाँ हैं ? उन सभी को निरस्त करने की बात सोचनी चाहिए। यह उपाय करना चाहिए कि घर के सभी लोग किस प्रकार आत्मिक दृष्टि से सुसंस्कारी और भौतिक दृष्टि से स्वावलंबी बन सकें। यदि यह तथ्य परिवार के सदस्यों को हृदयंगम कराया जा सके तो वे प्रगतिपथ पर अग्रसर हो सकते हैं। स्वयं सुखी रहकर अपने संपर्क क्षेत्र को समुचित मात्रा में सुख-शांति प्रदान कर सकते हैं।



सुधार विकास की पृष्ठभूमि बने

धन के, शिक्षा के, पद के आधार पर मनुष्य सर्वतोमुखी प्रगति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। समग्र उत्कर्ष के लिए सदगुणों की पूँजी ही एक मात्र अवलंबन है। अनगढ़ लोग दंद-फंद से कुछ प्राप्त कर लें, अंधे के हाथ बटेर लग भी जाए, तो उस उपलब्धि से कोई कहने लायक चिरस्थायी प्रयोजन पूरा नहीं होता। सदगुण ही है जो गई-गुजरी परिस्थिति से धिरे हुए होने पर भी अपने अभ्युदय का मार्ग स्वयं बनाता चला जाता है। साथ ही अपने संपर्क क्षेत्र में प्रगतिशील एवं प्रसन्नता का माहौल बना देता है।

जिस प्रकार धन परिश्रमपूर्वक उपार्जित किया जाता है, जिस प्रकार विद्वान बनने के लिए अध्ययन में गंभीरतापूर्वक तत्पर हुआ जाता है, ठीक उसी प्रकार सदगुणों की संपदा प्राप्त करने के लिए सतर्कतापूर्वक सतत् प्रयास करने पड़ते हैं। वे अनायास ही आकाश से छप्पर फाड़कर किसी भूमि पर टपकते नहीं हैं। शिल्पकार, कलाकार, चित्रकार बनने की तरह उस प्रयास में सतत् संलग्न होने की आवश्यकता पड़ती है।

यह अभ्यास कुछ मनस्वी अपने आप भी कर लेते हैं, पर सामान्यतया उन्हें किन्हीं प्रतिभाशालियों के संपर्क-सान्त्रिध्य में रहकर सीखना पड़ता है। पेड़ पर बेल चढ़ने की तरह ही यह सुयोग संयोग बनता है। इस सुविधा से परिवार के सदस्यों को लाभान्वित करने का दायित्व घर के बड़े लोगों का है। किसी की उत्त्रति-अवनति के लिए प्रशंसा-निंदा तो उसी व्यक्ति की होती है, पर यदि गहराई में उत्तरकर देखा जाए, तो उसका निमित्त कारण परिवार के मूर्धन्यों को जाता है। उन्हीं की सतर्कता से घर के छोटे दायरे में रहने वाले को समुन्नत व्यक्तित्व वाला बनाने का निमित्त कारण समझा जा सकता है। यदि उन्होंने उपेक्षा बरती, तो समझना चाहिए कि वह परिकर व्यक्तित्व

संपन्न होने से वंचित रह जाएगा। इसका दुखदायी दुष्परिणाम उन सदस्यों को ही नहीं, संचालक को भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए जितना ध्यान उपार्जन पर, सामने प्रस्तुत समस्याओं पर दिया जाता है, उससे कम नहीं, वरन् अधिक ध्यान परिजनों के व्यक्तित्व परिष्कार पर दिया जाना चाहिए। इस कार्य में समुचित समय लगाया जाना चाहिए। भले ही अन्य लाभदायक दीखने वाले कार्यों में से समय की कटौती ही क्यों न करनी पड़े।

इसके लिए यह आवश्यक है कि परिवार के साथ अधिक समय तक रहने, अधिक घुल-मिल कर बातें करने, मिल-जुलकर कुछ काम करते रहने का कार्यक्रम बनाया जाए। यह उच्चस्तरीय एवं उपयोगी मनोरंजन है। इसमें आंतरिक प्रसन्नता होती है। साथ रहने में परिजनों को भी जी खोलने और आवश्यक मार्गदर्शन बातों-बातों में ही प्राप्त कर लेने का अवसर मिलता है।

मनोविनोद के लिए हर किसी की इच्छा होती है। सिनेमा, टी. वी. आदि देखने, ताश-शतरंज खेलने, खेल-सूदों में भाग लेने, सैर-सपाटा, गप्पबाजी करने के लिए इसी निमित्त लोग आतुर रहते हैं। समय और पैसा खर्च करते हैं। यह प्रकृति स्वाभाविक भी है और मनोविज्ञान की दृष्टि से उचित भी। यदि सदा काम में जुटा रहा जाए या एकांत सेवन करने जैसे माहौल में पिंजड़े का पक्षी बनकर रहा जाए, तो उस स्थिति से मन ऊब जाता है और कुछ उठा-पटक करने लगता है, जिससे विनोद में समय लगाने की अपेक्षा दूसरी किस्म की हानियाँ अधिक मात्रा में उठानी पड़ती हैं।

मनोरंजन के दर्शन में गहराई से उत्तरकर देखा जाए, तो प्रतीत होगा कि प्रचलित विनोदों में परिवार के सदस्यों के साथ अधिक जी खोलकर मिलना और उनके साथ-साथ कुछ-न-कुछ काम करते रहना है। विनोबा बागवानी को अच्छे किस्म का उपयोगी व्यायाम बताते थे। वे कहते थे कि इसमें समय-सृजन और उपार्जन में संलग्न रहने से पहलवानों की अपेक्षा बागवानों को तीन-गुना अधिक लाभ मिलता है। यही बात परिवार के साथ सामूहिक उपयोगी प्रेरणाप्रद मनोरंजन करने पर लागू होती है। चूँकि आमतौर से इसका प्रकलन नहीं देखा

जाता, इसलिए उसके लाभों से भी लोग परिचित नहीं हैं। बच्चों को सजाया तो खूब जाता है, पर उनके साथ खेलने का उच्चस्तरीय आनंद लेने और देने की बात नहीं सोची जाती। सुविधा-साधन जुटा देना भर पर्याप्त मान लिया जाता है, पर वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि पूरा परिवार हँसती-हँसाती मनोदशा में रहे। अपनी कहे, दूसरों की सुने। सहकारिता और शिष्टता जैसे सद्गुणों को उन परिस्थितियों में सहज ही बढ़ाते चला जाए।

घर रहने में किसी को घुटन नहीं होती। उस छोटे-से परिवार में ही अधिक-से-अधिक समय बने रहने की सबकी इच्छा होती है। घर का वातावरण नीरस एवं धिसा-पिटा रहने से ही उसमें लंबे समय तक रहना भारी पड़ता है। बाहर भागने की इच्छा इसी कारण होती है। झीलों, पार्कों सिनेमाघरों की सैर करने एवं दोस्तों और सहेलियों के साथ मिल-बैठने के लिए जी इसी कारण करता है। यदि प्रयत्न किया जाए तो घर का वातावरण ही इतना मनोरंजक, उत्साहवर्धक, आकर्षक एवं प्रेरणाप्रद बन सकता है कि उसे छोड़कर कहीं मन हल्का करने के लिए जाने की किसी की भी इच्छा न हो।

अनुभव के अभाव में ये कार्य कठिन प्रतीत होते हैं; पर वस्तुतः हैं अति सरल। जिन दिनों घर में कोई उत्सव त्यौहार होता है, विवाह-शादी होती है, उन दिनों घर आकर्षण का केंद्र बन जाता है। उसी माहौल के बने रहने से बात बनती है। बाहर कोई जाता नहीं और जाता है तो तुरंत वापिस लौट आता है। लौट ही नहीं आता, वरन् बिखरे हुए कामों में से अपने योग्य चुनकर हाथ बँटाने लगता है। ठीक ऐसी ही स्थिति अपने घरों में भी सदा रहनी चाहिए। बच्चे भले ही इधर-उधर कूदते-फाँदते रहें, पर बड़ों को, जिम्मेदारों को तो इसी खेल में रुचि लेनी चाहिए कि वे परिवार के साथ अपने को आत्मसात कर लें। छोटे-बड़े सभी साथी-सहचर समझेंगे, तो उनके साथ रहने में भरपूर मनोरंजन की पूर्ति हुई समझने लगेंगे। इसमें दुहरा लाभ है। बच्चे परिपक्व लोगों के साथ रहकर व्यावहारिक जानकारियों का इतना लाभ उठा सकेंगे, जितना छोटों के साथ

रहकर नहीं उठाया जा सकता। बड़ों का लाभ यह है कि उनका बचपन लौट आता है। बच्चों के साथ रहना, हँसना, खेलना अपने आप में एक बढ़िया किस्म का मनोरंजन है।

शाहजहाँ को जब उसके बेटे ने कैद में डाला, तो समय काटने के लिए उसने कुछ काम माँगा। क्या काम चाहिए ? यह पूछने पर उसने उत्तर दिया—बच्चों की मंडली पढ़ाने के लिए दे दी जाए। इसमें उसका मनोरंजन भी था और शासकों की तरह अहंकार की पूर्ति का अवसर भी। हम अपने-अपने घरों में शाहजहाँ जैसा समय का सदुपयोग कर सकने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

बालकों का विकास महत्त्वपूर्ण तो है, पर उतने तक ही सीमित होकर नहीं रह जाना चाहिए। आयु की दृष्टि से किशोर, तरुण, प्रौढ़ या वृद्ध होते हुए भी अधिकांश व्यक्ति इस स्तर के होते हैं, जिन्हें बहुत कुछ भूलना और बहुत कुछ सीखना चाहिए। इन्हें पढ़ाना, समझाना अपेक्षाकृत और भी अधिक कठिन होता है, क्योंकि उनमें अहमन्यता की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। वे अपने दुर्गुणों तक की हिमायत करने लगते हैं। सद्गुण सिखाने जैसे परामर्श देने वालों को अपना अपमान करने वाला समझ बैठते हैं। अपने को पूर्ण मान बैठते हैं और किसी की नसीहत सुनने को तैयार नहीं होते। उन्हें समझाना, राह पर लाना बूढ़े तोते को वाक्य रटाने की तरह कठिन पड़ता है। फिर भी इस कठिनाई से जूझना ही चाहिए और उसे सरल बनाना ही चाहिए।

अपने देश में शिक्षा का अभाव है। तीन-चौथाई लोग अनपढ़ हैं, साथ ही अनगढ़ भी। उन्हें पेट-प्रजनन भर की चिंता रहती है। इन्हीं दो प्रयोजनों के लिए मरते-खपते रहते हैं। व्यक्तित्व को परिष्कृत स्तर का बनाने में भी कुछ लाभ है क्या ? यह उन्हें कभी जानने-समझने का अवसर ही नहीं मिला। प्रगतिशीलों के संबंध में उनकी दो ही मान्यताएँ रहती हैं। एक या तो उसका भाग्य फलित हुआ है या फिर चोरी-चालाकी से उत्कर्ष का अवसर आया है। उन्हें इस बात का भान नहीं हो पाता कि मनुष्य का स्वभाव, व्यवहार, अनुशासन, विवेक जैसे गुणों का समुच्चय ही वह

ऊर्जा है, जिसे पाकर जीवन का कमल खिलता है, उत्कर्ष का सरंजाम जुटता है। इस यथार्थता को प्रियजनों के गले तो उतारा ही जाना चाहिए। उन्हें इस बात के लिए सहमत करें कि वे आत्म-निरीक्षण का अभ्यास करें। त्रुटियों को खोजें, व्यवहार में जो अनगढ़पन रम गया है, उसे खोजें और बुहार फेंकने के कार्य का उच्चस्तरीय महत्त्व समझें। इस प्रयास में तत्परतापूर्वक लगें। साथ ही जिन सदगुणों की कमी है, उनका विकास-अभ्यास दिनचर्या का प्रमुख अंग बनाएँ। इतना बन पड़ने पर समझना चाहिए कि व्यक्तित्व निखरा, प्रतिभा जगी, राह मिली, अभ्युदय का द्वार खुला। यह व्यवस्था बनाने में गृहपतियों की—परिवार के वरिष्ठ लोगों की अहम् भूमिका रहनी चाहिए। उन्हें परिजनों के साथ घुलने-मिलने में अपने आप को उन्हीं के स्तर का बनाकर वार्तालाप करना चाहिए। उन्हीं की वय का अपने आपको मानना चाहिए। तभी एकात्मकता जुड़ती है और जी खोलकर बात करने की, आदान-प्रदान की स्थिति बनती है। सुधार-परामर्श का क्रम चलाने से पूर्व यह पूर्व पृष्ठभूमि बना लेनी चाहिए, अन्यथा परिष्कार का द्वार खुल न सकेगा।

प्रामाणिकता और प्रतिभा के विकास में घर के हर सदस्य की अभिरुचि आकँक्षा जगानी चाहिए। वह जागरण ही जीवन-विकास का मूलभूत आधार है। यह उत्कंठा जग पड़ने से व्यक्ति इस स्थिति में पदार्पण करता है कि अपनी त्रुटियों को, बुरी आदतों को खोजें। जिन सदगुणों का अभाव है, उन्हें अपने में धारण करने के लिए आतुरता व्यक्त करे। यह जिज्ञासा जग पड़ना ही उज्ज्वल भविष्य की संभावना का प्रमुख आधार है। इस वृत्ति के जगने के उपरांत ही वह मनस्थिति बनती है, जो आत्म-चिंतन के अतिरिक्त दूसरों को भी अपना परामर्शदाता बनाए। उनके सारगर्भित उपदेशों पर कान धरें। औचित्य को आचरण में उतारें और अग्रगमन की दिशा में अपने कदम तेजी के साथ बढ़ाएँ।

क्रिया-कलापों की दृष्टि से, प्रगतिशीलता की दृष्टि से क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसकी योजना बननी और कार्यान्वित होनी

चाहिए। किंतु उसके पूर्व आवश्यकता इस बात की है कि इस अभिनव अभ्यास की दिशाधारा को अपनाने के लिए मनस्थिति को लचीला बनाया जाए। उसे सुधारने और संभालने की आवश्यकता को अपनाने के लिए उत्सुक बनाया जाए। इतना बन पड़े तो मार्गदर्शक का कार्य घर के अधिपति ही नहीं, सद्ग्रन्थ और वरिष्ठजन भी कर सकते हैं। स्वाध्याय और सत्संग से भी यह लाभ मिलता रह सकता है।



आकर्षण और विनोद का माहौल बनाने की आवश्यकता

सद्गुणों की क्षमता बहुत ही विस्तृत है। दैवी संपदाएँ गीता में २६ गिनाई गई हैं। संसार के अन्यान्य धर्म दर्शनों से भी उनका विशद वर्णन-विवेचन हुआ है। बात जितनी बड़ी होती जाती है, उतनी ही जंजाल बनती जाती है। विशाल संख्या वाले तथ्यों को समझना और याद रखना भी कठिन हो जाता है। इसलिए उनकी संख्या जितनी कम हो, उतनी ही सुविधाजनक रहेगी।

इस दृष्टि से मान्यताप्रक सद्गुणों को चार की संख्या में भी सीमित किया जा सकता है। (१) समझदारी, (२) ईमानदारी, (३) जिम्मेदारी, (४) बहादुरी। इन चारों को चार वेदों का सार-संक्षेप भी माना जा सकता है। दिशाएँ चार हैं। वर्ण भी चार और आश्रम भी चार, युग भी चार और ब्रह्माजी के मुख भी चार। ऐसी ही प्रतिष्ठा उपरोक्त चार गुणों की, की जा सके, तो समझना चाहिए कि जीवन के गणोश चतुर्थी जैसा बन पड़ने का आधार मिल गया। विष्णु भगवान के चार हाथों का आशीर्वाद और चार आयुधों का समर्थन मिल गया।

यों कहने को तो सभी अपने को समझदार कहते हैं, पर उनकी यह मान्यता कसौटी पर कसने से खोटे सिक्के की तरह अवास्तविक सिद्ध होती है। चतुर, चालक, धूर्त, प्रपंची भी अपने आपको समझदार होने का दावा करते हैं। अधिक पढ़े-लिखे और पद अधिकार उपलब्ध करने वाले भी ऐसे ही दावे करते हैं। जिन्होंने संपदा जमा कर ली है, वे भी अपने को दूसरों की तुलना में अधिक समझदार होने का अभिमान संजोए हुए होते हैं। सफलता पाने वाले, विपक्षी को गिरा देने वाले भी समझदारी की डीग हाँकते देखे गए हैं। पर वस्तुतः यह उन सबका भ्रम मात्र ही है।

समझदारी की वास्तविकता उसकी दूरदर्शिता में सन्त्रिहित है। दूरदर्शिता अर्थात् कृत्यों के परिणाम का सही प्रकार अनुमान लगा सकना। लोगों को तात्कालिक लाभ ही सब कुछ दीखता है, भले ही उसका परिणाम आगे चलकर कितना ही कष्टकारक पतनोन्मुख एवं अपयश से भरा-पूरा वर्णित हो। जाल में फँसने वाली चिड़िया, मछुओं के छद्म में घुस पड़ने वाली मछलियाँ इसका उदाहरण हैं—वे आटा देखती हैं, काँटा नहीं। असंयमी इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। लोलुपता उनसे कुछ भी करा लेती है। वासना-तृष्णा में आक्रांत व्यक्ति क्षणिक चसक पर, चासनी में ढूब मरने वाली मक्खी की तरह आचरण करते हैं। लिप्सा की ललक जब तक पूरी नहीं हो पाती उससे पहिले ही दुष्परिणाम के संकट घहराने लगते हैं। चटोरे अभ्यास से अधिक मात्रा में खा मरते हैं और पेट को, समस्त शरीर को अनेकानेक बीमारियों का घर बना लेते हैं। कामुक और नैशेबाज भी अपने पैरों कुल्हाड़ी मारते हैं। सूखी हड्डी चबाने वाला कुत्ता अपने जबड़ों से निकलने वाले खून को सूखी हड्डी का स्वाद मानता और जबड़ों को लहू-लुहान करता रहता है। बचपन में आवारागर्दी करने वाले लड़के आगे चलकर पग-पग पर ठोकरें खाते हैं और हेय स्तर का जीवन जीते हैं। इसके विपरीत जिन्हें दूर की सूझती है, वे किसान की, माली की, विद्यार्थी की तरह आरंभ में कठोर श्रम खुशी-खुशी करते हैं और समय आने पर संपत्रता, सफलता और प्रतिष्ठा का अयाचित प्रतिदान प्राप्त करते हैं। कुमार्ग छोड़ना और सन्मार्ग अपनाना और कुछ नहीं, मात्र दूरदर्शिता अपनाने की सहज प्रतिक्रिया है। सदाशयता का राजमार्ग भी इसे समझा जा सकता है। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए गृहपति को भी लगना चाहिए। साथ ही परिवार के अन्य जनों को भी प्रेरित, प्रोत्साहित करते रहना चाहिए।

मित्रो, साथियों की सभी को आवश्यकता पड़ती है। उनके साथ जी खोलकर बात करने का सुयोग मिलता है। इसीलिए हर किसी का मन उन्हें खोजने, साथ रहने का होता है। अच्छा है यह आवश्यकता परिवार के परिसर में ही पूरी की जाती रहे। सभी सदस्य एक-दूसरे को घनिष्ठ मित्रता के धागे में बाँधते रहें। ऐसी

परिस्थिति न बनने दें, जिससे कोई किसी के साथ जी खोलकर बात न कर सके। संकोच को ही शिष्टाचार मान बैठें। परस्पर लजाते और झेंपते रहें। अत्यंत आवश्यक काम की बात कहने भर को मुँह खोलें और तत्काल बद कर लें। यह रिस्थिति सभी की प्रगति में बाधक बनकर अड़ती है। इसलिए जहाँ यह अड़चन अड़ रही हो, वहाँ उसे निरस्त करने का प्रयत्न चलना चाहिए।

परिजनों की घनिष्ठता के अनेक लाभ हैं। उन्हें सहचरत्व का लाभ घर में मिल जाता है, तो उसमें क्लब जैसा आकर्षण बना रहता है। बाहर भागने की आतुरता नहीं उभरती। इसके कुसंग में फँसने की आशंका न रहेगी। इन दिनों माहौल ही कुछ ऐसा है, जिसमें शालीनता, सज्जनता, सहदयता, आदर्शवादिता के तत्त्व कहीं ढूँढ़े नहीं मिलते। जहाँ भी देखा जाए पतन-पराभव का वातावरण मिलेगा। इस जाल-जंजाल में फँसने से सब प्रकार की हानियाँ उठाते रहने के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए समझदारी इसी में समझी जाती है कि घर के सदस्यों को कुसंग में फँसने और दुर्गुणों का पिटारा बनने से रोका जाए, पर इसमें भी आंशिक सफलता ही मिलती है, कारण कि घर के वातावरण में डॉट-डपट, डिझक-संकोच, नीरसता जैसा ही कुछ पाया जाता है। उसमें न कहीं आकर्षक होता है, न मनोरंजन। रोटी खाने, नित्य-कर्म करने और नींद लेने जैसी सुविधाएँ ही वहाँ मिलती हैं। सराय में ठहरने जैसी इतनी स्वत्प सुविधाओं से शरीरचर्या का काम तो चल जाता है, पर मन को तनिक भी संतोष नहीं होता। यार दोस्तों से मिलने, क्लबों में मनोरंजन करने निकल जाते हैं। ताश-चौपड़ खेलते हैं। बच्चे जरा से पंख उगते ही बाहर भागते हैं, उन्हें आवारा किस्म के लोग ही फालतू मिलते हैं। उन्हीं के पास भरती के लिए समय होता है। बस खाँचा बैठ जाता है और बताकर या बिना बताए किसी बहाने से उन्हीं के साथ मिला जाता है। महिलाएँ भी सहेलियों के घर पर डोलती रहने वाली बुद्धियों के साथ गपबाजी करती हैं। यह सभी प्रसंग ऐसे हैं, जिनमें किसी का भला नहीं। मात्र हानि ही हानि है। समय की इस बर्बादी को रोकने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि

घर के वातावरण में इतने आकर्षण बढ़ा दिए जाएं जिनमें हर किसी का मन लगा रहे। आमतौर से सभी दिन का अधिकांश भाग अपने आवश्यक कार्यों में व्यतीत करते हैं। रात को सोते हैं। मनोरंजन ढूँढ़ने का समय थोड़ा ही हाथ लगता है। यही यदि कुसंग में बीत जाए, तो समझना चाहिए कि जो कमाया गया था, उससे कहीं अधिक हानि उठाए जाने का संकट खड़ा हो गया। उसमें फँसने वाले की जिंदगी खराब होने के लक्षण प्रकट हो गए।

यदि यह अखरता है, तो उपाय एक ही है कि घर में खोज-खोजकर परीक्षा-प्रशिक्षण के आकर्षण, मनोरंजन के कार्यक्रम प्रचलित किए जाएँ। संगीत, खेल, स्वाध्याय, कथा-कहानी जैसी प्रतिष्ठापनाएँ अवकाश वाले क्षणों में चलनी चाहिए। घरेलू पुस्तकालय ऐसा होना चाहिए, जिसमें विचारशीलता को प्रोत्साहन देने वाली सामग्री भरी पड़ी हो। अनभ्यस्त होने के कारण यह नया आरंभ कुछ अटपटा और कठिन लग सकता है, पर वस्तुतः वह है अति सरल। कठिनाई मात्र आरंभ करने के प्रथम चरण की ही है। एक बार उत्साह और साहसपूर्वक घर के ढाँचे में सुधार करने की बात सोच-ली जाए, तो फिर उसे पूरा कर गुजरना किसी के लिए भी—कुछ भी कठिन नहीं पड़ना चाहिए।

विचार-विनिमय प्रत्यक्ष चलने में झिझक आड़े आए, तो परिवार में उसकी जिससे घनिष्ठता हो, उसके माध्यम से कठिनाई तथा इच्छा जानी जा सकती है और उसी माध्यम से अपने परामर्श उस तक पहुँचाए जा सकते हैं। यों ऐसे गंभीर प्रश्न बहुत ही कम होते हैं, जिनके लिए गहराई तक कुरेद-बीन करने की आवश्यकता पड़े और उसके दार्शनिक स्तर के उत्तर विस्तार से देने पड़ें। हँसने-हँसाने के मूड में भी आवश्यक समाधान तर्क-तथ्य और प्रमाण सहित संक्षेप में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। न बन पड़ना संभव हो, उसके लिए स्पष्ट मना करके विद्वेष खड़ा करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि बात उपेक्षा में टाल दी जाए। एक समय की उमंग समय बीतते जाने पर ढीली पड़ती जाती है। इस प्रकार बहुत-न्सी अड़चनें समय के दबाव से स्वयमेव हल हो जाती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न नवीन आकर्षणों

के आरंभ करने का है। इसके लिए अधिक आकर्षक विनोद-खेलकूद का है। जहाँ उछल-कूद की गुंजायश हो वहाँ बैडमिंटन, टेबिल टेनिस जैसे प्रयोग घर में ही आरंभ किए जा सकते हैं। जहाँ जगह की कमी हो वहाँ ताश, शतरंज, चौपड़, कैरम बोर्ड जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है।

संगीत, सहगान-कीर्तन, कथा-चर्चा जैसे प्रयोग भी ऐसे हैं, जो घर में ही मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराते हैं। इनके प्रति पिछला आकर्षण अभ्यास न रहा हो तो नया चक्का लगाया जा सकता है।

एक-दूसरे के कामों में सहायता देना भी एक ऐसा काम है, हर घड़ी हर किसी को नजर उठाते ही मिल सकता है। सहयोग और सहकारिता के क्रिया-कलापों में वह शक्ति सत्रिहित है, जो एक-दूसरे को परस्पर जोड़ती है, सहयोगी और मित्र बनाती है। यही तो वह प्रमुख आवश्यकता है, जो परिवार के सभी सदस्यों को स्नेह-सद्भाव के सूत्र में लंबे समय तक बौधे रहती है। इन छोटी-छोटी घटनाओं को हर कोई बहुत समय बीत जाने पर भी याद करता रहता है और कृतज्ञता की गहराई तक सँजोए रहता है।

कृतज्ञता की गरिमा बहुत कम लोग समझ पाते हैं। याद तो उसे कोई-कोई ही रखते हैं। इसका उपाय यही है कि घर के लोग अपनी-अपनी सेवा-सहायता की चर्चा तो करें पर दूसरों के द्वारा जो जिसकी जितनी सहायता बन पड़ रही है, वह किस सद्भावना पर आश्रित है, इसका संकेत किया जाता रहे। अपने को छोड़कर घर के अन्य सदस्यों ने दूसरे साथियों के प्रति जो सद्भाव बना रखे हैं, उस मनोदशा की चर्चा का क्रम भी चलते रहना चाहिए। इस प्रकार कृतज्ञता की मुरझाती बेल को सीचने का सुयोग बन सकता है और एक-दूसरे के लिए अधिक सद्भाव उभारते रहने का अवसर मिल सकता है। यह सद्भावना ही किसी परिवार को समुन्नत बनाने की प्रमुख भूमिका अदा करती है।



श्रमशीलता एक सत्प्रवृत्ति

पारिवारिक पंचशीलों में श्रमशीलता, मितव्ययिता, शिष्टता, सुव्यवस्था, सहकारिता—इन पाँच सिद्धांतों का समावेश किया गया है। इन्हें यदि किसी परिवार में ठीक तरह समझा और अपनाया जा सके तो उसकी बहुमुखी प्रगति होते चलना सुनिश्चित है।

उपरोक्त पंचशीलों को प्रसिद्ध पंचदेवों के सदृश्य समझा जा सकता है, उन्हें पंचरत्न-पंचामृत जैसी उपमा दी जा सकती है। इन्हें कहते-सुनते तो कई हैं, पर उन्हें जीवनचर्या में, पारिवारिक विधि-व्यवस्था में सम्मिलित करने का साहस कोई बिरले ही कर पाते हैं। जो इन्हें अपनाने के लिए कटिबद्ध होते हैं, वे उनके ऋद्धि-सिद्धियों जैसे चमत्कारी प्रतिफलों से भी लाभान्वित होते हैं। स्पष्ट है कि जानना आवश्यक तो है, पर लाभान्वित होने के लिए पर्याप्त नहीं। इस प्रयोजन के लिए तो उन्हें व्यवहार में उतारने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं।

पंचशीलों में प्रथम निर्धारण श्रमशीलता का आता है। जिसने इसे अपना लिया समझना चाहिए कि उसके भाग्योदय का मार्ग खुल गया।

आमतौर से लोगों में आलस्य-प्रमाद की भरमार पाई जाती है। वे बैठे-ठाले दिन गुजारना चाहते हैं। हलके कार्मों में हाथ डालते हैं और धीरे-धीरे मनमौजीपन से उन्हें पूरा करते हैं, उन्हें आधा-अधूरा छोड़ देते हैं। जितने समय में जो काम हो सकता है, उसकी अपेक्षा वे कई गुना समय नष्ट करने के उपरांत पूरा करते हैं। जो बन पड़ता है वह भी लंगड़ा, पंगा, काना, कुरुप होता है। उसमें ढेरों त्रुटियाँ रहती हैं। समय तो अधिक नष्ट होता ही है। फूहड़पन से किये गए काम का स्वरूप भी ऐसा देखा जाता है, जिसमें कर्ता की प्रशंसा, प्रसन्नता प्राप्त होना तो दूर, उल्टे तिरस्कार-फटकार का

सामना करना पड़ता है। ऐसे कामों का बाजार मूल्य भी अति स्वल्प होता है, जबकि यदि उसी को मन लगाकर किया गया होता तो कर्तृत्व सम्मानित होता और किए गए श्रम का संतोषजनक प्रतिफल भी मिलता, पर उस आलस्य-अनुत्साह को क्या कहा जाए, जो अपने स्पर्श में आने पर सोने को मिट्टी बना देने के लिए कुख्यात है।

भगवान् ने मनुष्य को समय रूपी संपदा दी है। उसका सदुपयोग मात्र श्रम-साधना से ही बन पड़ता है। तत्परता और तन्मयता से जिस कार्य को भी सजाया-संजोया जाए, वह कमल पुष्प की तरह खिल पड़ता है।

दिन-रात में सभी की घड़ियाँ चौबीस घंटे बजाती हैं। उसे हीरे-झोतियों से गुंथा हुआ हार समझा जा सकता है, बशर्ते कि उसका सदुपयोग बन पड़े। यदि उसे आवारागर्दी और अस्त-व्यस्तता में गुजार दिया जाए तो समझना चाहिए कि हाथ आया हुआ भाग्योदय का अवसर ढुकरा दिया गया। संसार में जितने भी सफल जीवन व्यक्ति हुए हैं, उन सबमें समय का मूल्य समझने और उसके एक-एक मिनट का सदुपयोग करने की प्रवृत्ति रही है। मिनटें और घंटे ही मणि-मुक्तकों की लड़ हैं। इनको तत्परता और तन्मयता के सार्थक कामों में लगाए रखने वाले ही सर्वतोमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। जिन्हें जो प्रयोजन पूरा करने हों उनके लिए मनोयोग मिश्रित श्रम-साधना का मूल्य चुकाना पड़ता है। जो यह मूल्य चुकाने में आनाकानी करते हैं, उन्हें खाली हाथ रहना और पग-पग पर निराशा-असफलता का मुँह देखना पड़ता है।

आलस्य-प्रमाद में, दुर्व्यसनों और कुसंगों में जिनका समय लगा वे क्रमशः अधिक अधःपतन के गर्त में गिरते चले गए हैं। अवसर निकल जाने पर उन्हें अपनी दुर्गति पर पश्चात्ताप ही करते रहना पड़ा है।

आमतौर से श्रम साधना का महत्त्व समझा नहीं जाता, उसे लोग ढर्ऱे की दिनचर्या पूरी करने में ही ज्यों-त्यों करके खपा देते हैं। कार्य को अन्यमनस्क भाव से करने और मनोयोग जोड़ते हुए करने में जमीन-आसमान जितना अंतर होता है। बेमन से बेगार भुगतने की

तरह किया गया काम सदा फूहड़ स्तर का ही बन पड़ता है। न उसमें सौंदर्य होता है, न चमक देखने को मिलती है और न स्तर ही सराहना करने जैसा होता है। जब श्रम के साथ मनोयोग नहीं ही लगा है तो फिर उसमें न प्रखरता शामिल हो सकेगी और न प्रतिभा को ही काम करते समझा जा सकेगा। ऐसे काम गिनती में कितने ही और कई प्रकार के हो सकते हैं, पर उनमें वह प्राण नहीं होता है, जो उत्कृष्टता के उच्च लक्ष्य को छू सके, दूसरों के लिए आदर्श और अनुकरणीय-अभिनंदनीय बन सके।

ढर्रे का काम ज्योंत्यों करके निपटाया जा सकता है, पर उसे सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें शारीरिक गतिविधियाँ ही सीमित होकर न रह जाएँ। उसके साथ मनोयोग भी पूरी तरह लगाया जाए। काम को दिलचस्पी का विषय समझकर किया जाए और उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर खिलाड़ियों की तरह पूरी तत्परता से संपन्न किया जाए। ऐसे ही काम सफल, सुधड़ और सराहनीय स्तर के बन पड़ते हैं। कर्ता की कुशलता भी उन्हीं से बढ़ती है। प्रशंसा भी उन्हीं की होती है और सत्परिणामदायक भी वे ही बनते हैं।

अपनी जेब के पैसे उपेक्षापूर्वक बिखेरते चलना मूर्खता ही समझी जाएगी। उससे भी बड़ी मूर्खता यह है कि समय और श्रम का तालमेल सुनियोजित रीति से बिठाए बिना ऐसे ही बहुमूल्य क्षणों को बर्बाद करते रहा जाए। समय बीतने की तो छुटपुट कामों में भी किसी प्रकार कट्टा रह सकता है। आराम तलब लोग, सेठ-सामंत भी काम तो नौकरों से करा लेते हैं, पर अपना समय आलस्य-प्रमाद में मौज-मजा करते हुए मस्ती में गुजारते हैं। उठते समय से लेकर सोने तक का समय व्यसनों में, यारदोस्तों की गपबाजी में, आवारागर्दी में बिता देते हैं। चिड़ीमारों का उसी खिलवाड़ में, पूरा समय उसी जाल-जंजाल में उलझते-उलझते व्यतीत हो जाता है। पल्ले तो पेट भरने जितना ही मिलता है। चोर-उचक्के भी ताना-बाना बुनने और घात लगाने में समय बिता देते हैं। अमीर घरों की महिलाएँ ऐसे ही शौक-शृंगार में समय काटती रहती हैं। कहने को तो उन्हें मोटी दृष्टि

से भाग्यवान भी कहा जा सकता है, पर वस्तुतः बात ऐसी है नहीं। क्षुद्र कामों में समय बीत जाए और पेट प्रजनन के लिए सारा समय बीत जाए तो इसे दुर्भाग्य में ही गिना जाना चाहिए।

काम हमारा मित्र है। उसका स्वागत तत्परता और तन्मयतापूर्वक किया जाना चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा, उसे इस दृष्टि से किया जाना चाहिए, मानों उसे अपनी योग्यता परखने के लिए नियति ने अग्नि-परीक्षा के रूप में प्रस्तुत किया है। एक काम भली प्रकार संपन्न बन पड़ने के उपरांत अनायास ही दूसरा बड़ा काम हाथ में लेने की इच्छा जगती है। दूसरे के बाद तीसरा, यह क्रम चलते-चलते उस स्थान तक पहुँचता है, जिसे चरमोत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। वरिष्ठता इसी आधार पर हस्तगत होती है। स्वभाव और सद्गुण ही कार्य को साधारण से असाधारण बना देते हैं। ऐसे ही सुसंपन्न कार्यों का आकर्षण व्यक्ति की प्रतिभा निखारता है और उसे प्रगति के एक से एक बढ़कर अवसर प्रदान करता चलता है। ऐसे पुरुषार्थी का समर्थन और सहयोग करने की इच्छा हर किसी की होती है। उनके साथ आदान-प्रदान का व्यवहार करने में, विचार-विनिमय का क्रम चलाने में हर किसी को प्रसन्नता होती है।

सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी कार्य-व्यस्तता का प्रभाव घर के सब सदस्यों पर पड़ता है। पड़ोसी-संबंधी तक उससे लाभ उठाते हैं। चर्चा का प्रसंग जहाँ भी चलता है, वहीं उत्साह उभरता है और अनुकरण के लिए साहस करने का मन करता है। देखा भी यही गया है कि एक कर्मवीर अपने प्रभाव क्षेत्र में जादू भरा वातावरण बनाता है और उसी राह पर अनेकों को घसीट से चलने में समर्थ होता है।

श्रमशीलता का अभ्यास होने पर हाथ का काम निपट जाने भर से संतोष नहीं होता, वरन् दूसरों द्वारा छोड़े हुए अधूरे कामों को पूरा करने के लिए मन चलता है। आवश्यक नहीं कि जितना काम अपने जिम्मे आया हो, उतना ही करके निढ़ाल हो रहा जाए वरन् नया काम ढूँढ़ना चाहिए। इसके लिए सबसे सरल उपाय यह है कि संपर्क क्षेत्र पर नजर डाली जाए, कि किसका क्या काम अधूरा पड़ा है ? उसे आलस्यवश या बोझिल होने के कारण कर नहीं सका है। आज्ञा

लेकर उस कार्य में जुट पड़ना चाहिए और पूरा करके हटना चाहिए। बड़ा काम सामने न हो तो छोटे-छोटे कामों में हाथ बँटाया भी जा सकता है। इससे अपना समीपवर्ती क्षेत्र सुनियोजित और समग्र-संपन्न कार्यों की प्रदर्शनी बन जाता है। मात्र अपने हिस्से का काम निपटा लेने और दूसरों के इर्द-गिर्द गंदगी पड़ी रहने से उसका दोष अपने ऊपर भी आता है। घर का एक कोना साफ-सुथरा हो और अन्य कोने कूड़े-करकट से भरे हों तो घर सुहावना नहीं लगेगा वरन् आक्षेप यह आएगा कि किसी ने एक कोना साफ करके सारा घर गंदा छोड़ दिया है। वस्तुतः सारे परिकर को ही अपना स्वरूप मानकर चलना चाहिए और वहाँ के व्यक्तियों से लेकर क्रिया-कलापों तक को सुगढ़-सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। बया पक्षी भनोयोग से घोंसला बनाती है और उसकी प्रशंसा हर किसी की जीभ पर छाई रहती है।

घर के हर सदस्य को भली प्रकार समझाया जाए, उसे हृदयंगम कराया जाए। उसका समय निर्धारण भी इस क्रम से बनाया जाए कि जिसमें उसकी व्यस्तता बनी रहे। बालकों, जवानों, बूढ़ों के कामों में अंतर तो हो सकता है, पर उनमें से किसी को खाली बैठे रहने और दिमाग में खुराफातों की खेती करने का अवसर न देना चाहिए।

विश्राम आवश्यक है। काम के बीच-बीच में विश्राम की गुंजाइश रखी जाए, पर विश्राम को भी उथला नहीं वरन् गहन बनाया जाए, जिससे थोड़ी ही देर में पूर्ण शांति का अवसर मिलने पर थकान उत्तर सके।

काम को अपमान की दृष्टि से देखना बहुत बुरा है। अपने देश की मानसिकता कुछ इसी प्रकार की बन गई है, जिसमें श्रमजीवी को अभाग माना जाता है। परिश्रम करने में हेटी समझी जाती है। इस मान्यता को हमें पूरी तरह हटाना चाहिए, अन्यथा बेकारी की दुष्प्रवृत्ति हमारे मनों पर हावी होगी और दरिद्रता, कुसंस्कारिता स्वभाव का अंग बनकर रहेगी। इससे उज्ज्वल भविष्य बनने में भारी अवरोध उत्पन्न होता है।



सादगी, संयम और मितव्ययिता

पारिवारिक पंचशीलों में द्वितीय स्थान है—मितव्ययिता का। सीमित खर्च करने का अर्थ है, अपव्यय में नष्ट होने वाली राशि को बचा लेना अर्थात् उतनी नई कमाई कर लेना। बचत ही वस्तुतः भविष्य को अधिक समुज्ज्वल बना सकने में समर्थ संपदा है।

यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं कि कौन कितना कमाता है ? उसकी आमदनी कितनी है ? यदि खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ा लिया गया है तो फिर पूरा किसी भी प्रकार न पड़ेगा, उल्टा कर्ज लेना पड़ेगा, अनैतिक उपार्जन पर उतारू होना पड़ेगा। यह स्थिति ऐसी है, जिसे अभावग्रस्तता से भी अधिक कष्टकर कहा जा सकता है।

दुर्युणों में अपव्यय को प्रमुखता दी गई है। उसकी अनेकानेक हानियाँ हैं। अपव्यय प्रायः दुर्व्यसनों में, फैशन में, ठाट-बाट में, बड़प्पन ज़ताने के लिए किए गए कामों में ही होता है, नशेबाजी, जुआ, नाच, तमाशा, मोज-मजा जैसे कार्यों में होता है। शुंगार-सज्जा भी इसी में आती है। लोग कीमती कपड़ों की अनेक जोड़ियाँ बनवाते और उनसे संदूक भरते रहते हैं। स्त्रियों में जेबर का शौक उसी प्रकार का है। उन्हें पहनने से अस्वास्थ्यकर दबाव पड़ता है। नाक, कान आदि कोमल और प्राकृतिक सौंदर्य से भरे-पूरे अंगों को छेदकर उनमें चित्र-विचित्र प्रकार के जेबर टूँस लेना एक प्रकार से उन अंगों के प्रति अत्याचार करना है। हाथों की उँगलियों में, कलाइयों पर, गले में, पैरों में अनेकानेक प्रकार के जेबर लदे देखे जाते हैं। उनसे हर प्रकार की हानियाँ ही हैं। लाभ रत्ती भर भी नहीं। उनके दबाव से अंग विकृत होते हैं। लंबी रकम उनमें फँसती है। बार-बार टूट-फूट होते रहने से मरम्मत में पैसा जाता है। चोर-उच्चकों का डर हमेशा बना रहता है। देखने वालों की प्रसन्नता कम कुद्दन अधिक होती है।

कोई बेईमानी की कमाई कहता है, तो किसी को अहंकार की गंध आती है। परिवार में न्यूनाधिकता के कारण ईर्ष्या उभरती है। इतने सब कारण जेबर बनवाने और पहनने के साथ जुड़े हुए हैं। कीमती कपड़ों की अनेकानेक जोड़ियाँ रखने के बारे में भी यही बात है। वे दिन बहुत पीछे छूट गये, जब किसी की अमीरी देखकर लोग प्रभावित हुआ करते थे और उसे भाग्यवान, बड़ा आदमी माना करते थे। अब साम्यवाद की लहर ने हर किसी का मन और चिंतन दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। अमीरी जताने वाले प्रदर्शनों को सीधा चोरी का, बदमाशी का माल ठहरा दिया जाता है। ईर्ष्यालु और किसी प्रकार हड्डपने का कुचक्र रचने की घात में रहने वालों की भी कमी नहीं रहती। इस प्रकार की जिस प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए ठाट-बाट बनाया गया है, वह मिलना तो दूर उल्टे अनेकानेक प्रकार की हैरानियाँ खड़ी करने वाला बन जाता है।

घर के अन्य सदस्य भी वैसी ही शौक-मौज के लिए ललचाते हैं और अपना स्तर भी कम सजीला नहीं रहने देते। उन्हें भी अपने-अपने ढंग से उसी से मिलती-जुलती फरमाइश पूरी करने की जुनून चढ़ती है। इस प्रकार घर खर्च, हाथ खर्च आसमान छूने लगता है। इसकी पूर्ति उचित मार्ग से की गई कमाई से नहीं हो पाती। तब ऋण लेते रहने से, अनीति मार्ग अपनाने से लेकर जो कुछ कर्म-कुर्कर्म बन पड़ता है, उसे पूरा करने से कम में उनका काम नहीं चलता। इस प्रकार ऊपरी तड़क-भड़क के लिए अपनी वास्तविक गरिमा को खोखली कर लिया जाता है।

जिनकी आजीविका सीमित है और ठाट-बाट का खर्च बढ़ा लेते हैं, उनके लिए यह कठिन पड़ता है कि लोगों की आँखों में अपनी ईमानदारी की छवि बनी रहे। हर कोई अनुमान लगाता है कि जब आमदनी सीमित बताई जाती है तो फिर यह धनाध्यक्षों जैसा आडंबर किस प्रकार बन पड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर कितनी ही सफाई देने पर भी दूसरों के गले नहीं उतरता। सज-धज में एक ऐब और है कि उसे हर किसी की आँख में लाने के लिए अपना विज्ञापन आप करते हुए ऐसे लोगों के पास जाना या उन्हें बुलाना इसलिए

आवश्यक हो जाता है कि सस्ती वाहवाही लूटी जा सके। इस मेल-जोल बढ़ाने के चक्कर में प्रायः अवाछनीय व्यक्तियों के साथ ही संगति जुड़ती है और उसमें हजार तरह के खतरे छिपे रहते हैं। रूप-सौंदर्य को शृंगार के सहारे निखारने के बाद महिलाओं की उत्सुकता इस बात में बढ़ती है कि लोग उन्हें देखें और मन ही मन या प्रकट रूप से अपनी प्रसन्नतापरक अभिव्यक्ति जताएँ। यही वह चारा है जिसमें मछुए और बहेलिए मछलियों और चिड़ियों को फँसाकर उनकी दुर्गति करते हैं।

चतुर मालिक अपने नौकरों पर बारीकी से नजर रखते हैं कि वे अधिक खर्चीले ठाट-बाट बनाने वाले तो नहीं हैं। यदि हैं तो वे सोचते हैं कि इस अनावश्यक खर्च की पूर्ति अपने ही कारोबार से कहीं चोरी-चालाकी करके की जा रही होगी। उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। समय आते ही उन्हें निकाल बाहर किया जाता है। अन्यत्र भी कहीं नौकरी ढूँढ़ने पर उनका ठाट-बाट ही सफलता नहीं मिलने देता। इस कुचक्र में उन्हें भारी हानि उठानी पड़ती है। लड़कियों को गुणों की कुदृष्टि का शिकार बनने में बहुधा यही कारण प्रधान रहता है।

साथ ही यह आदत एक और दुर्गुण न्यौत बुलाती है कि ऐसा कोई शारीरिक श्रम न किया जाए, जिससे कपड़े, हाथ गीले होते हों। तनिक-तनिक-सी बात के लिए नौकरों की दरकार होती है। बड़े आदमी मेहनत नहीं करते यह आम मान्यता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सज-धज वालों को कड़ा श्रम करने में अपनी बेइज्जती मालूम देती है। वे प्रायः उससे बचते ही रहते हैं। स्पष्ट है कि बिना कड़े परिश्रम किए न तो कोई स्वस्थ रह सकता है, न प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकता है। इन दोनों महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों से उसको वंचित किए रहना कोई समझदारी की बात नहीं है।

सादगी सज्जनता की निशानी है। उससे नम्रता और शालीनता झलकती है, जिससे किसी के सौजन्य का सहज पता चलता है। नैतिकता और सामाजिक क्षेत्रों में जिन्होंने बढ़-चढ़कर सफलता पाई और प्रतिष्ठा अर्जित की, उनमें से अधिकांश की वेशभूषा सादगी से

भरी रही है। जन-साधारण के साथ एकता बनाने के लिए आवश्यक है कि उनके साथ एकरूपता का भी यथासंभव प्रयत्न किया जाए। अपने देश में अधिकांश जन-साधारण को गरीबी की रेखा से नीचे का जीवनयापन करना पड़ता है। उनके साथ तादात्म्य स्थापित करने वालों को उन्हीं जैसा रहन-सहन रखना चाहिए। तड़क-भड़क से वे आश्चर्यचकित भर होते हैं। उन्हें कुछ अजीब होने जैसी दृष्टि से देखते हैं। पर यह अनुभव नहीं करते कि वह हमारी स्थिति को समझा होगा। हमारे दुःख-दर्द में सम्मिलित होने का मन रखता होगा। इस स्थिति के रहते उनका मन जीतना और सहयोग अर्जित करना कदाचित ही कहीं दीख पड़ता होगा।

प्रसिद्ध है कि गांधी जी औसत भारतीय नागरिक की तरह अपना निर्वाह करते थे। वे सदा थर्ड क्लास के डिब्बे में सफर करते थे। आधी धोती पहनते और आधी ओढ़ते थे। चटाई पर बैठते और सोते थे। रसोईघर के कामों में हाथ बँटाते थे। इस पर भी वे देश का, सत्याग्रह का, अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियों का संचालन करते थे। सस्ता रहन-सहन रखने से उन्हें किसी बात की, किसी काम में कहीं अड़चन नहीं पड़ती थी। घटिया रहन-सहन रखने पर भी उन्हें, उनके व्यक्तित्व को कहीं भी घटिया होने की कल्पना नहीं की गई।

सादगी के साथ स्वच्छता जुड़ी हुई है, तो वह अपने आप में एक फैशन बन जाती है। ऐसी फैशन जिसका विचारशील वर्ग पर असाधारण प्रभाव पड़ता है। खादी को गांधीजी ने इसलिए भी राष्ट्रीय परिधान घोषित किया था कि उसे पहिनने वाला अपने साथ सात्विकता, सादगी और शालीनता जुड़ी हुई अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारों को काम मिलने, गरीबों की सहायता बन पड़ने जैसे उसमें गौण लाभ भी अनेकों जुड़े हुए थे।

सादगी अपनाने से निर्धन भी कुछ बचत करते रह सकते हैं, जो आड़े समय में अपने यह दूसरों के काम आ सकती है। बचत से ही पुण्य परमार्थ जुटाया जा सकता है। अपने को अधिक स्वस्थ, सुविकसित एवं समन्वित बनाने का साधन जुटाया जा सकता है। बचत को नित्य निर्वाह व्यय का एक अविच्छिन्न अंग मानकर चलना

३८] परिवार निमणि की विधि-व्यवस्था

चाहिए, इससे निश्चितता रहती और पीठ भारी बनी रहती है। उस आधार पर कोई बड़ा काम किया जा सकता है। किसी बड़ी विपत्ति से निपटा जा सकता है। आश्रितों को समुन्नत एवं स्वावलंबी बनाने में यह बचत ही काम देती है। इसे बैंक में जमा करते रहा जाए तो वह कुछ ही वर्षों में मूलधन को दूना-चौगुना कर देती है।

सादगी की एक विशेषता यह है कि साज-सँवार में जो समय लगाता है, उसकी पूरी तरह बचत हो जाती है। इस समय को अपनी ज्ञान वृद्धि में, स्वास्थ्य वृद्धि में, अनुभव प्राप्ति में, सेवा-साधना में लगाया जा सकता है और उसके बदले बहुत कुछ पाया जा सकता है। दर्शक उससे प्रभावित होते हैं और उसे सहज ही कोई आदर्शवादी मान लेते हैं। अपेक्षाकृत अधिक विश्वास करते हैं, अधिक प्रमाणित मानते हैं और अधिक सहयोग देते हैं। यह इतना बड़ा लाभ है, जिसे कितनी सज-धज करते रहने पर भी नहीं पाया जा सकता। खर्च में कटौती और प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि का दोहरा लाभ होता है, जिसे हर किसी को उठाना ही चाहिए।

मितव्ययिता अलंग बात है और कंजूसी कृपणता दूसरी। आवश्यक कामों में भी कृपणता के वशीभूत होकर कटौती की जाती रहती है और संचय को बढ़ाया जाता रहता है। ऐसी बचत तो फिजूलखर्ची से भी बुरी है। धन का सदुपयोग इसी में है कि उसे उपयोगी कामों में लाते रहने के उपरांत भी जो बच पड़े उसकी बचत की जाए। उपयोगी कामों को रोक कर की गई बचत तो अपनी प्रगति रोकती है और दूसरों की दृष्टि में उपहासास्पद बनाती है।

बचत एक प्रकार का संयम है, जिसमें इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम के चारों पक्ष आते हैं। घड़े के पैंदे में एक छोटा-सा छेद हो जाने पर भी उसका सारा पानी नीचे बहकर समाप्त हो जाता है। असंयम के छिद्र ऐसे हैं कि उसे जहाँ भी स्थान मिलेगा, वहीं अनर्थ खड़ा होगा। इंद्रिय असंयम मनुष्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति को खोखला बनाता है। आर्थिक असंयम से मनुष्य दरिद्र और बेर्इमान बनता है। समय में असंयम बरतने पर कोई आलसी प्रमादी ही बन सकता है। अनगढ़ विचारों से शेखचिल्ली

बनने या बे सिर-पैर की उड़ानें उड़ते रहने का अभ्यास बनता है। ये चारों ही संयम मनुष्य को हर दृष्टि से समृद्ध बनाते हैं, वहाँ उनका असंयम दीन-दुर्बल बनाकर रहता है। सादगी और संयम प्रकारांतर से एक ही है। सादगी प्रत्यक्ष होती है और संयम परोक्ष, पर दोनों एक-दूसरे के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं।



शिष्टता की उपयोगी रीति-नीति

कौन कैसा है ? इस वास्तविकता का पता लगाना कठिन है। इसके लिए लंबे समय का सान्निध्य और गतिविधियों का गंभीरतापूर्वक पर्यवेक्षण चाहिए। उसमें कभी रहे तो संपर्क क्षेत्र के लोगों के संबंध में भी गलतफहमी रह जाती है। जिसे खरा समझा गया था वह खोटा निकलता है। कई बार उपेक्षितों में भी ऐसे निकल पड़ते हैं, जिन्हें कीचड़ का कमल या कोयले की खदान का हीरा कहा जा सके। किंतु यह सब गहरी जाँच-पड़ताल करने पर ही पता चलता है। सामान्य परिचय से उस बारीकी का पता नहीं चल पाता। ऐसी दशा में समीपवर्ती लोगों के संबंध में वास्तविकता की जानकारी नहीं हो पाती। इस अनभिज्ञता में कई बार धोखा और जोखिम भी उठाना पड़ता है।

मोटी परख का एक सरल तरीका है—शिष्टाचार का अवलोकन। सभ्य व्यक्ति की वाणी में शालीनता होती है जो मुँह खोलते ही प्रकट होती है। अपनी अभिव्यक्ति नम्र स्तर की होना और दूसरों के प्रति आदर का भाव प्रकट करना। ये दोनों ही परस्पर मिलकर वाणी की शालीनता प्रकट करते हैं। यह परिचय लेखनी से ही मिलता है। किन्हीं के पत्र किस स्तर के हैं, उनसे क्या अभिव्यक्तियाँ प्रकट होती हैं ? इसे सहज ही जाना जाता है। वार्ता शुरू करने वाला और उसका उत्तर देने वाला अपने कथन में नम्रता, सद्भावना का पुट किस मात्रा में रख रहा है, इसे देखकर तीसरा समीपस्थ व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि दोनों पक्षों में से किसमें किस मात्रा में सज्जनता है ? वस्तुतः सज्जनता का व्यवहार ही किसी व्यक्तित्व के स्तर का परिचायक है। इस जानकारी के बाद ही यह प्रश्न उठता है कि किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए ? संपर्क जोड़ा जाए, सहयोग दिया जाए। वाणी को प्रवक्ता

का पदं दिया गया है। वह जब बोलना आंरभ करती है तो मात्र कामकाजी प्रसंगों को ही नहीं निपटाती वरन् बोलने की शालीनता का स्तर भी खोलकर रख देती है। उसमें शक मात्र ही नहीं होती है, साथ ऐसी गंध भी घुली होती है, जिससे आदमी के मर्मस्थल को पहचाना जा सके। उसकी सज्जनता का, प्रामाणिकता का स्तर नापा जा सके। इसलिए न केवल बोलते समय हमारी शब्दावली शिक्षितों जैसी होनी चाहिए, वरन् साथ में सद्भावना की मिठास भी घुली रहनी चाहिए। उसमें से सज्जनता की फूलों जैसी मधुर गंध उठनी चाहिए।

वाणी प्रथम प्रयोग है। वह इतनी सशक्त है कि शब्द कुछ भी हो, बोलने वाले की सुसंस्कारिता-कुसंस्कारिता का परिचय खुले पत्रों की तरह प्रस्तुत करती है। इसके बाद शिष्टता की परिधि में व्यवहार के अन्य शिष्टाचार आते हैं। जैसे बैठने के लिए स्वेच्छा से वह जगह चुनना जो सर्वसाधारण के लिए मानी जाती है। वहाँ बैठने के बाद यदि ऊँचे आसन पर निकट आकर बैठने के लिए कहा जाए तो ही बैठना चाहिए। देखते ही आगंतुक का मुस्करा कर स्वागत करना, उसके आगमन को प्रसन्नता का विषय बताना, समुचित आसन देना, कुशल समाचार पूछना—यह प्रारंभिक स्वागत ऐसा है, जो काम छोड़कर भी किया जाना चाहिए। इसके बाद यदि जरूरी काम रुका पड़ा हो तो उसके लिए आज्ञा माँगकर अपना आवश्यक कार्य करने के लिए चला जाना चाहिए। अतिथि का कम से कम जल से तो स्वागत करना ही चाहिए। सौफ-सुपाणी जैसा कुछ सस्ता उपहार हो तो उसे भी भेंट किया जा सकता है। कोई सर्वथा निरर्थक आदमी हो और उससे पीछा छुड़ाना आवश्यक हो तो जल्दी निपटा देने की बात दूसरी है। फिर भी अपनी ओर से यथासंभव शिष्टता का निर्वाह होना ही चाहिए, चाहे उसका निर्वाह ही सीमित क्यों न बन पड़े। वाणी का शिष्टाचार हर हालत में निवाहा जाए, किसी से कटु शब्द न बोले जाएँ, न किसी को धमकी, चुनौती आदि दी जाए। दूसरा असभ्यता पर उतरे तो उस समय उसे अपनी भड़ास निकाल लेने दी जाए। बाद में अवसर पाकर उसे वस्तुस्थिति समझा दी जाए। अक्सर

झंझट गलतफहमियों के कारण ही होते हैं। कभी-कभी आवेशग्रस्त स्वभाव वाले भी अपनी आदत से लाचार होकर हर किसी से उलझ पड़ने की हरकतें करते रहते हैं। ऐसों की उपेक्षा करनी उचित है। गाली का जवाब गाली नहीं हो सकती। मैले कपड़े को कीचड़ से नहीं धोया जा सकता। उसके लिए तो साफ-सुथरा पानी चाहिए। झंझट खड़ा कर लेना सुगम है, पर उसे निपटाना बड़ा कठिन। हिम्मत वाले दूरदर्शियों को कठिन काम ही हाथ में लेना चाहिए।

शिष्टता एक उपयोगी, लाभदायक और समाधान कारक प्रवृत्ति है। इसके विपरीत उजड़-उजड़पन से दूसरों का कितना अपमान होता है उससे कहीं अधिक अपनी बेइज्जती होती है। इसलिए समझदारों में से किसी को भी यह घाटे का सौदा हाथ में नहीं लेना चाहिए।

देखा गया है कि अशिष्टता बरतने का, आवेश में आकर उबल पड़ने का स्वभाव बचपन से ही आरंभ होता है और वह धीरे-धीरे जड़ पकड़ता जाता है और फिर उससे पीछा छुड़ाना कठिन पड़ता है। इसलिए सतर्क अभिभावकों, अध्यापकों को जहाँ बच्चों के संबंध में कामकाजी बातों के अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनकी आदतों में अनौचित्य तो घर नहीं कर रहा है। कुटेवों में गंदा रहने की आदत की तरह अशिष्ट व्यवहार करने की बात भी अखरने वाली है। इसके लिए उन्हें आरंभ से ही टोका और सिखाया जाए। बच्चों को उपदेश प्रायः कम याद रहते हैं। अच्छा तरीका यह है कि उनके साथ बरताव करके बदले में वैसा ही अनुकरण करने का अवसर दिया जाए।

वार्तालाप में उन्हें आप कहकर बोला जाए। नाम के साथ 'जी' शब्द और जोड़ा जाए। उनसे वार्तालाप सज्जनता की भाषा में किया जाए और व्यवहार शिष्टता की मर्यादाओं के अनुरूप। इस विद्या का वे अनुकरण करना प्रारंभ करते हैं और शालीनता के ढाँचे में ढलते जाते हैं। न कटु शब्द उन्हें बोला जाए और न उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न होने दी जाए।

ऐसा करने से वे शिष्टता के व्यवहार की मान-मर्यादा से अवगत हो जाते हैं और उसके निर्वाह में अभ्यस्त हो जाते हैं।

कपड़ों को, बालों को, बैठने के ढंग को भी इसी ढाँचे में ढाला जाए, क्योंकि न केवल बोलचाल से वरन् रहन-सहन और रीति-नीति से भी यह पता चलता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित ? यों चिंतन और चरित्र भी उत्कृष्टता और आदर्शवादिता से भरा हुआ होना चाहिए किंतु वह सब तो देर से अपनी स्थिति का परिचय देता है। सबसे प्रथम साक्षात्कार से ही यह बात प्रकट हो जाती है कि कौन व्यक्ति किस स्तर का है ? उसके व्यक्तित्व का वजन कितना है ? यह जाँच-पड़ताल वार्तालाप में घुली रहने वाली वस्तु-स्थिति और रहन-सहन की प्रक्रिया परिपाठी से ही प्रकट होती है। इसलिए जो प्रत्यक्ष है उसके बारे में और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।

बच्चों को वैसा शिक्षण का अवसर न दिया जा सके तो भी बड़ी आयु के अनगढ़ों से भी वैसा व्यवहार करना चाहिए। बड़ी आयु हो जाने पर भी कितने ही लोग गुण-कर्म-स्वभाव की दृष्टि से बचकाने ही बने रहते हैं। उन्हें प्रौढ़ शिक्षा स्तर पर पारस्परिक व्यवहार में सज्जनता बरतने का पाठ किसी भी आयु में पढ़ाया जा सकता है। इसका सीधा और सरल तरीका एक ही है कि अपनी ओर से हर स्थिति में शालीनता बरती जाए। दूसरे ने क्या कहा और क्या किया ? उसके लिए ठीक वैसा ही व्यवहार करना तर्क की दृष्टि से तो ठीक हो सकता है, पर उसके दूरगामी परिणाम अनुपयुक्त ही देखे गए हैं। विचारशील भावी परिणति और संभावनाओं को ही महत्त्व देते हैं और आशाजनक परिस्थितियाँ उत्पन्न करने के लिए सज्जनोचित व्यवहार के रूप में बीजारोपण करते हैं।

अतिथि-सत्कार में, अलग विचार-विनिमय के अवसरों में प्रायः शिष्टाचार का प्रकटीकरण होता है। पत्राचार में भी भाव-संवदेनाओं की झलक रहती है। निजी रहन-सहन, चाल-ढाल, रुझान, हलचल में भी वह तथ्य भीतर से उभरकर बाहर आता है। विक्षिप्तों को उनकी चाल-ढाल, भाव-भंगिमा से सहज पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार अशिष्टों की अनगढ़ हरकतों से भी यह जाना जा सकता है कि उनका स्तर क्या है ? कपड़े मैले-कुचैले, बटन खुले, जूते फटे, बाल बिखरे देखकर भी किसी की असभ्यता को आँका जा सकता है।

सभ्य सामाजिक बनने के लिए हर किसी को अपनी चेष्टाएँ ऐसी रखनी पड़ती हैं कि प्रथम साक्षात्कार में ही दूसरों पर छाप पड़े और उलट कर सम्मान-सत्कार मिले।

शिष्टाचार का मूल मंत्र है—अपनी नम्रता और दूसरों का सम्मान। इस कसौटी पर जो जितना खरा उत्तरता है, उसे उतना ही सभ्य-सुसंस्कृत समझा जाएगा। जो अपना अहंकार जताते और दूसरों का अपमान करते हैं, वे असभ्य गिने जाते हैं। आवश्यक नहीं कि ऐसा घटिया प्रदर्शन मारपीट से, गाली-गलौज से ही किया जाए—ऐसी दुर्गंधि साधारण वार्तालाप में भी भरी हो सकती है। कई व्यक्ति अपनी शेख़बी बघारते रहने के आदी होते हैं। उनका यह करना तो अत्युत्साह की तरंग में करना होता है, पर प्रकारांतर से यह भाव रहता है कि अपने बड़प्पन की इतनी बढ़ी-चढ़ी छाप छोड़ें, जिसकी तुलना में सुनने वाले अपने को पिछड़ा हुआ अनुभव करने लगे। यह अप्रत्यक्ष अहमन्यता है, जो सुनने वालों को अखरती है जिससे उसकी धाक स्वीकार करने की अपेक्षा उसे मन ही मन शेख़ीखोर मानने लगते हैं और उसके कथन पर अविश्वास करने लगते हैं।

परिवार में शिष्टता का वातावरण प्रचलित रहना चाहिए। सभी सदस्य एक-दूसरे को सम्मान दें। उचित मर्यादा में प्रशंसा करें और प्रोत्साहन भी दें। दिल तोड़ने वाली, निराश करने वाली बातें न कहें। सम्मान से सद्भाव बढ़ता है। शिष्टता बरतने वाला सम्मानित होता है और अनायास ही दूसरों का सद्भाव-सहयोग अर्जित करता है। साथ ही अपने विश्वस्त व्यक्तित्व की दर्शकों पर भी छाप छोड़ता है। यह प्रत्यक्ष ही लाभ का सौदा है। इस व्यवसाय में भी प्रवीण-पारंगत होने का हर किसी को प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही यह भी गिरह बाँधकर रखना चाहिए कि अशिष्टता हर दृष्टि से हानिकारक है। वह अपना स्तर गिराती है, भित्रों को शत्रु बनाती है। जो सहयोगी था, उसे असहयोग करने के लिए प्रेरित करती है। इसकी हानि भले ही तत्काल किसी की समझ में न आए, पर परिणाम सामने आने पर विदित होता है कि एक ऐसी कुटेब पाल ली गई तो पग-पग पर अनर्थ खड़े करती है।



सुव्यवस्था—एक रचनात्मक प्रवृत्ति

व्यवस्था बुद्धि की गरिमा असाधारण है। उसी के आधार पर भौतिक और आत्मिक सफलता की दिशा में सुनियोजित ढंग से बढ़ा जाता है। जिसमें यह प्रतिभा नहीं उसके सभी कार्य अस्त-व्यस्त पड़े रहते हैं और उपेक्षा की ठोकरों से दुकराए जाने पर नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। पदार्थों का विनाश करने वाले अनेक कृमि-कीटक देखे जाते हैं, पर उन सबमें बढ़कर है—अव्यवस्था, जिसकी चपेट में आने पर कोई वस्तु सही सलामत नहीं बच सकती।

सौंदर्य सुव्यवस्था का ही दूसरा नाम है। अभ्युदय का आधारभूत कारण भी वही है। कुरुपता और कुछ नहीं, अव्यवस्था के प्रतिफल के रूप में उसे देखा-समझा जा सकता है। अस्वच्छता और कुछ नहीं, अव्यवस्था का प्रत्यक्ष रूप ही गंदगी के रूप में देखा जाता है। यदि वस्तुओं को यथोचित स्थान पर यथेष्ट स्थिति में रखा जाए तो वही सुंदरता—स्वच्छता बनकर प्रकट होती है।

जिनका रहन-सहन, आहार-विहार अव्यवस्थित रहता है, वे अनगढ़ बने रहते हैं। दूसरों की आँखों में वे अयोग्य, लापरवाह, और जिम्मेदार ठहरते हैं। ऐसे लोग परिश्रम भी करते हैं, पर मनोयोग के अभाव में उन कामों को उस स्थिति तक नहीं पहुँचा पाते, जिसमें उन्हें सुंदर और सुव्यवस्थित देखा जा सके।

रसोईघर में अव्यवस्था रहे तो भोजन न तो स्वच्छ रह सकेगा और न गुणकारी। उसमें इधर-उधर की गंदगी आकर सम्मिलित हो जाएगी। ध्यान न रहने पर कोई पाक कच्चा रहेगा, कोई जल जाएगा। उसके रखने-ढकने आदि में बीसियों खामियों रहेंगी और बनाने वाले पर पूहड़ होने का लांछन लगेगा। खाद्य सामग्री बिना ढक्कन बंद किए खुली छूटी पड़ी रहे तो उसमें कृमि-कीटक प्रवेश करेंगे, अपनी गंदगी छोड़ेंगे। उपयोग से पहले या बाद में वे आंगन में

अस्त-व्यस्त फैले रहे तो बिखरे हुए कचरे की तरह लापरवाही का विज्ञापन करेंगे। पुस्तकें जहाँ-तहाँ पड़ी हुई फटने और नष्ट होने लगेंगी। कपड़े कोने में पढ़े रहने पर झींगुरों और चूहों के शिकार बनेंगे। उपकरणों को जंग लग जाएगी और पैसे जहाँ-तहाँ रखकर भूल जाने का स्वभाव होगा तो उन्हें कोई भी चुरा सकता है। अव्यवस्था में उतनी हानि होती है, जितनी कि चोर-उचकके भी मिल-जुलकर नहीं कर सकते।

भोजन भले ही सात्त्विक, संतुलित और पौष्टिक हो, पर यदि उसे नियत समय पर, नियत मात्रा में व्यवस्थित ढंग से खाया न जाएगा तो वह पोषण के स्थान पर शोषण का शिकार बनेगा। अपच होंगा, सड़न उत्पन्न होगी और बीमारियों का निमित्त कारण बनेगा। जो आहार शरीर को सुव्यवस्थित करने का हेतु बन सकता था, वही उलटा आधि-व्याधियों को न्यौत बुलाने में जुट जाता है। यही बात कपड़ों के संबंध में भी है। वे भले ही कीमती हों, पर यदि वे अच्छी तरह से न पहने गए हों तो पहिनने वाले को अव्यवस्थित सिद्ध करेंगे।

सफल वे व्यक्ति होते हैं जो योजना बनाकर काम करते हैं और उसे क्रमबद्ध रूप में पूरा करने में समग्र तत्परता के साथ जुट जाते हैं। निरंतर यह ध्यान रखते हैं कि कहाँ चूक हो रही है, किस साधन की कमी पड़ रही है ? जो खामी दिखाई पड़ती है उसे वे साथ ही पूरी करते चलते हैं। तब चैन लेते हैं जब अपनी जिम्मेदारी का काम भली प्रकार पूरा कर लेते हैं। यह आदत बन जाने पर मनुष्य एक पक्षीय बनकर नहीं रह जाता, वरन् अपने कार्यक्षेत्र के हर पक्ष का ध्यान रखता है और बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही उसे संभाल लेता है।

यह बात मात्र काम-धाम के संबंध में ही नहीं है, व्यक्तियों के साथ संबंध निर्वाह पर भी लागू होती है। यदि शालीनता भरा न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए तो सद्भावना मित्रता बनकर लंबे समय तक निभती है। इसके विपरीत जिनका मूड आएँ दिन नरम-गरम बना रहता है। एक दिन तुष्ट तो दूसरे दिन रुष्ट, उनकी चंचलता पर हर

कोई खिन्न रहता है। किसी के साथ उनका तालमेल नहीं बैठता। घरवालों तथा संबंधियों तक से खिंचाव बना रहता है। पड़ोसी भी परिचित बनकर रहते हैं और सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ घनिष्ठता बढ़ने पर किसी न किसी प्रकार का झँझट ही मोल लेना पड़ेगा।

सामान्य जन एक निर्धारित काम में ही किसी प्रकार जुटे रहते हैं। उसमें क्या कमी रहती है और किस प्रकार क्या सुधार हो सकता है, इसका उन्हें कभी ध्यान ही नहीं उठता। कोलू के बैल की तरह एक नियत ढर्ऱे पर धूमते हुए समय काट लेते हैं। उन्हें यथास्थिति में रहते देखा गया है। किंतु जो चारों ओर नजर दौड़ाते हैं उन्हें प्रगति के लिए मार्ग मिल जाते हैं, अभ्युदय के नए मार्ग खुल जाते हैं।

व्यवस्था बना सकने वाले को 'मैनेजर' कहते हैं। इसी योग्यता वालों को 'गवर्नर' भी कहा जाता है। ये दोनों पद बड़े सम्मान के हैं। उन्हें श्रेय-सम्मान और लाभ-सहयोग भी अधिक मिलता है, क्योंकि काम करने की अपेक्षा उसकी व्यवस्था बना सकना कहीं अधिक बुद्धिमत्ता का काम है। सौ मजदूर किसी काम में जुटे रहकर भी किसी महत्वपूर्ण काम को सफल नहीं बना सकते, पर एक बुद्धिमान संयोजक उसी काम को सुनियोजित प्रक्रिया के अंतर्गत लेकर कम श्रम में कहीं अधिक और जल्दी सफलता प्राप्त कर लेता है। यह बात मात्र कारखानों, उद्योगों में ही लागू नहीं होती, वरन् परिवारों में सुख, शांति और प्रगति का वातावरण भी इसी आधार पर बनता है। निजी जीवन का संतोषजनक सदुपयोग भी इसी आधार पर बन पड़ता है। संसार में जितने सफल मनोरथ व्यक्ति हुए हैं, उनमें अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त सूझ-बूझ की दूरदर्शिता और जिस मार्ग पर चलना है, उसका उपक्रम ठीक प्रकार बना लेने की प्रतिभा विशेष रूप से निखर रही है। सुयोग्य मैनेजर स्वयं अधिक वेतन पाते और संबद्ध व्यवसाय को असाधारण लाभ पहुँचाते देखे गए हैं।

व्यवस्था के लिए लालायित निजी जीवन के कितने ही क्षेत्र इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि उनके साथ किसी प्रकार व्यवस्था-बुद्धि जुड़

जाए और उत्कर्ष की चरम सीमा छूने का अवसर मिल जाए। जहाँ ऐसा सुयोग बन जाता है, वहाँ स्वल्प साधनों और अनेकानेक अड़चनों के रहते हुए भी रास्ता मिलता रहता है और अग्रगमन के लिए उपयुक्त अवसर सहज ही सामने आ खड़ा होता है।

व्यवस्थापक को एक पक्षीय चिंतन का शिकार नहीं रहना पड़ता। वह समस्या के अनेक पक्षों पर ध्यान देता है। संभावनाओं में मात्र उपलब्धियों को ही ध्यान में नहीं रखता वरन् संभावित कठिनाइयों का भी ध्यान रखता है। दोनों की समीक्षा करता है और न्यायाधीश की तरह दोनों पक्षों की बात सुनकर बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला करता है। ऐसे ही फैसले यथार्थता के निकट होते हैं और सुविधाओं का श्रेष्ठतम् सदुपयोग एवं अड़चनों से बचने तथा उन्हें काटने भर की पूर्व तैयारी रहने से ऐसे अवसर प्रायः हल ही हो जाते हैं, जिनके कारण मुसीबत में फँसते और असफलता का मुँह देखना पड़ सकता था। समस्याएँ, योजनाएँ शतरंज की तरह होती हैं। उसमें गोट चलने के साथ-साथ आगे-पीछे की सभी बातें सोचकर तब चाल चलनी पड़ती है। जो अपनी अकल से या दूसरों के बताने पर बिना आगे-पीछा सोचे चलना आरंभ कर देते हैं, उन्हें लाभ कम और हानि अधिक उठाने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है।

सफलता आरंभिक कर्त्यना में अति सरल और अति निकट जान पड़ती है, जो अपनी बढ़त की राह पर चल सके और अड़चनों का सामना बिना अधिक शक्ति व्यय किए सरलतापूर्वक कर सके। बुद्धि सबमें समान होती है, पर उसे व्यवस्था बुद्धि के रूप में परिणत करने के लिए न केवल चिंतन-भनन की, वरन् व्यवहार बुद्धि के संचय और प्रयोग की भी आवश्यकता पड़ती है।

परिवार के हर सदस्य को इस विशेषता से सुसज्जित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इसके लिए गृहपति को या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना चाहिए और साथ में घर के हर सदस्य को लेना चाहिए। घर के छोटे दायरे में भी ऐसे कितने ही काम होते हैं, जो देखने में छोटे लगने पर भी आदतों में सुरुचिपूर्ण, कलात्मक एवं श्रमशीलता की अपेक्षा करते हैं। इस महती

आवश्यकता की पूर्ति के लिए मिल-जुलकर घर के सभी काम निपटाने की नई योजना बनानी और कार्यान्वित करनी चाहिए।

घर का काम-काज प्रायः महिलाओं के जिम्मे रहता है। वे ही घर की चहारदीवारी के अंदर होती रहने वाली हलचलों को संभालने की जिम्मेदारी संभालती हैं। बड़े-बूढ़े, बच्चे तथा पुरुष उस क्रिया कलाप के दर्शक अथवा उपभोक्ता मात्र बनकर रहते हैं। इससे बड़ी हानि यह होती है कि कार्यरत महिलाएँ एकाकी जुटी रहने के कारण 'बोर' होती रहती हैं। अत्यधिक व्यस्तता में एक ही प्रकार का काम करते-करते वे अपनी मानसिक कोमलता खो बैठती हैं और बंधुआ मजदूरनी की अपनी हैसियत पर घुटन भी अनुभव करती हैं। इससे उनके शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य पर असाधारण दबाव पड़ता है।

व्यवस्था बुद्धि घर के हर सदस्य में जगे। छोटे कार्मों में भी तत्परता बरतना और रस लेना आरंभ करें, इसलिए उपयुक्त तरीका यही है कि घर के सभी कार्यों में सभी सदस्य अपनी-अपनी स्थिति के अनुरूप हाथ बँटाएँ और नियत समय पर नियत कार्य करने के लिए उत्साहपूर्वक तैयार रहें।

घर में अनेक काम होते हैं, जिनमें सफाई, सजावट, मरम्मत के तीन काम ऐसे हैं, जिन पर कम से कम ध्यान दिया जाता है और उन्हें निरर्थक समझा जाता है जबकि वस्तुतः सार्थक कार्य वही हैं, जो घर को कलात्मक स्तर का बनाते हैं और आगंतुकों के सामने एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करते हैं।

यह व्यवस्था मनोरंजन का एक उत्तम साधन और अनुभव-अभ्यास की अभिवृद्धि भी करती है। घर में अनेक काम होते हैं, जिनमें भोजन बनाना, कपड़े धोना, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की सफाई करना और उन्हें यथास्थान सजाकर रखना, इन्हें नित्य कर्म की गणना में रखा जा सकता है। ये सब काम नौकरों या महिलाओं के जिम्मे न छोड़कर घर के सभी लोगों को इनमें हाथ बँटाना और सहयोग देना चाहिए; इसमें खेल जैसा आनंद आता है। जिन पर वजन लदा रहता है उन्हें हल्कापन अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त कुछ काम ऐसे भी होते हैं, जिन्हें यदाकदा ही किया जाता है। जैसे

पुस्तकों की मरम्मत, घर की टूटी-फूटी वस्तुओं का सुधार, घर की पुताई, किवाड़ों का, फर्नीचर का रंग-रोगन। इनको भी यदि मिल-जुलकर किया जाए तो उतने भर से व्यावस्थिक बुद्धि बढ़ेगी और परिवार के हर सदस्य को सूझबूझ वाला परिश्रमी बनने का अवसर मिलेगा।

साथ-साथ खाना, खेलना, संगीत, सहगान, सत्साहित्य का वाचन और श्रवण, सामूहिक उपासना जैसे आधार अपनाकर घर में अनुशासन की एक नई प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। पक्षियों को दाना-पानी का प्रबंध करके, उन्हें अपने आँगन में फुदकने और प्रसन्न होने का दृश्य देखा जा सकता है। घरेलू शाक-वाटिका, पुष्प वाटिका का आरोपण करने से भी रचनात्मक प्रवृत्ति के परिपोषण का एक आधार बन सकता है।



उदार सहकारिता

परिवार का पाँचवाँ पंचशील है—सहकारिता। यह स्मरण रखने योग्य तथ्य है कि सर्वथा एकाकी व्यक्ति न प्रगति कर सकता है, न निर्वाह। इसके बिना पारस्परिक सहयोग का आदान-प्रदान भी संभव नहीं। बुहारी बँधी रहने पर अपना काम कर सकती है, पर यदि उसकी सीकें अलग-अलग बिखर जाएँ, तो वे अपना अस्तित्व तक सुरक्षित नहीं रख सकतीं। एक धागे का क्या मूल्य, उसकी सार्थकता तो तभी दीख पड़ती है, जब वह परस्पर गुँथकर कपड़े के रूप में विनिर्मित होता है, किसी के शरीर की शोभा बढ़ाता है, रक्षा करता है और लाज बचाता है। 'अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता' यह उक्ति अक्षरशः सत्य है।

संसार में सभी छोटे-बड़े काम सहयोग के आधार पर चल रहे हैं। पति-पत्नी के सहयोग से गृहस्थी की नींव पड़ती है। बच्चों, वयस्कों और वृद्धों का परिकर उसे मिल-जुलकर ऐसे ढंग से चलाता है कि आसमान का सुख उस घर-घरोंदे में ही उतर आता है। समाज क्या है ? परिवारों का समूह। परिवार क्या है—व्यक्तियों का सम्मिलित परिकर।

फैक्टरियाँ, कारखाने, इंजीनियरिंग स्तर के निर्माण, कृषि, व्यवसाय, गृह उद्योग कई-कई व्यक्तियों के श्रम, सहयोग और कौशल के समन्वय से चल पाते हैं। एक आदमी चाहे कितना ही सम्पन्न या चतुर क्यों न हो, व्यक्तियों का सहयोग जुटाए बिना अपने क्रिया-कलापों को तनिक भी अग्रगामी नहीं बना सकता। रेल, जहाज, पुल, बाँध जैसे बड़े निर्माणों के पीछे अनेक क्रिया-कुशल लोगों का श्रम और बुद्धि-कौशल झाँकते देखा जा सकता है। संगठित और सुरक्षित सेना का योगदान देश की सुरक्षा में कितना अधिक होता है, इसे सभी जानते हैं। धार्मिक प्रसार विस्तार का कार्य ईसाई मिशनों ने

संगठित रूप से ही किया है। राज-क्रांतियों और सामाजिक परिवर्तनों के पीछे समर्थ जन सहयोग ही काम करता रहा है। बुद्ध का धर्म-चक्र-प्रवर्तन, संसार भर को प्रभावित कर सकने में सफल रहा। इसके लिए तपस्वी भिक्षु प्रचारकों की भाव-संवेदना ही काम करती रही। गाँधीजी के सत्याग्रह की सफलता के पीछे सत्याग्रहियों की सेना ही प्रमुख भूमिका निभाती रही। अन्यत्र भी जहाँ कहीं सुधार परिवर्तन हुए हैं, वहाँ एक जुट लोक समर्थन ही सफलता के स्तर तक पहुँचा सकने में समर्थ हुआ है।

सामूहिकता की, सहकारिता की शक्ति से सभी परिचित हैं। गोवर्धन पर्वत उठाने में कृष्ण को ग्वाल-बालों का सहयोग मिला था। समुद्र का सेतु बांधने में रीछ-वानरों का संयुक्त प्रयास ही चमत्कारी परिणाम उत्पन्न कर सका। पाठशालाओं से लेकर विश्व विद्यालयों तक का विशालकाय शिक्षा-तंत्र जन संकुल के सहयोग से ही खड़ा हुआ है। राजतंत्र भी विशाल जन शक्ति को अपने अंचल में समेटकर ही शासकीय गतिविधियों का संचालन करता है। कभी तो धर्मतंत्र भी ऐसा ही सुरक्षित था, पर अब उसके ध्वंसावशेष ही जहाँ-तहाँ बिखरे दृष्टिगोचर होते हैं। जब वह अपनी सुगठित स्थिति में था, तो उसने समस्त विश्व को सभ्यता और सुसंस्कारिता का पाठ पढ़ाया था।

मधुमक्खियों का छत्ता, चीटियों का किला, टिड़ियों का दल अपनी संगठित प्रगति का परिचय देता है। बंदर इसलिए आजाद है कि वे झुंड बनाकर रहते हैं। कुत्तों को इसलिए मनुष्य का गुलाम बनना पड़ा कि वह अपनी बिरादरी के साथ तालमेल बिठाने में कतराता रहा। कहानी है कि एक बार बहेलिए के जाल में फँसी हुई चिड़ियों ने मिलकर एक साथ जोर लगाया था और वे जाल को आसमान में उड़ा ले गई थीं। संयुक्त शक्ति का जितना गुणगान किया जाए, उतना ही कम है। हारते देवताओं को दैत्यों से हर बार हार जाने पर प्रजापति ने देवताओं की संयुक्त शक्ति एकत्रित करके उससे देवी दुर्गा का सृजन किया था और दैत्य समुदाय का हनन कराकर देवताओं को उनका छिना शासन वापस दिलाया था, तब से कलियुग में संघ शक्ति को ही मूर्धन्य माना जाता रहा है।

भेड़ों के बाड़े की तरह या रेल के मुसाफिर खानों की तरह भीड़ एक स्थान पर जमा हो जाने भर से सघ नहीं बनता। भीड़ तो सोमवती अमावस्या और कुभ जैसे मेलों पर भी लग जाती है, पर उन आगंतुकों में परस्पर परिचय तक नहीं हो पाता, फिर संगठन कैसा ? सराएँ और धर्मशालाएँ भी भीड़ से भरी रहती हैं, पर उनमें टिकने वालों का किसी से कोई परिचय संबंध नहीं होता। ऐसी ही स्थिति परिवारों की भी बनी रहे तो उसे सराय की उपमा हीं दी जा सकती है, जिसमें लोग खाने, नहाने, सोने भर की सुविधा पाने के लिए ही जमा रहते हैं और मृतलब निकल जाने पर अपनी मौज-मर्जी की गतिविधियों में लग जाते हैं, यह स्थिति न तो संतोषजनक कही जा सकती है और न उत्साहवर्धक।

परिवार के सदस्यों के बीच इतनी अधिक आत्मीयता होनी चाहिए कि सभी को पूरा परिवार अपना ही बड़ा शरीर प्रतीत हो और उसके प्रत्येक अंग-अवयव को, सदस्य को समुन्नत-सुविकसित बनाने की उत्सुकता व तत्परता बनी रहे। यह दृष्टिकोण ही दूसरों की सेवा-सहायता का आधार बनता है और इसी की प्रतिक्रिया उलटकर प्रत्येक सहयोगी के पास—सम्मान, सद्भाव एवं सहयोग के रूप में उलटकर आती है। यही आदान-प्रदान परिवार की संघ शक्ति बनता है और उसके लाभ से हर सदस्य लाभान्वित होता है।

घर के सभी कामों को मिल-जुलकर निपटाने का प्रचलन जिन घरों में भी बन पड़ा होगा, वहाँ सभी को यह अनुभव करने का अवसर मिलेगा कि घर की सारी व्यवस्था हम सबके मिले-जुले प्रयासों के आधार पर चलती है। इस अवसर पर काम करते हुए वार्तालाप भी चलता रहता है और यह सुझाव मिलता रहता है कि घर की व्यवस्था में कहाँ क्या सुधार परिवर्तन होना चाहिए ? इनमें से कुछ अव्यावहारिक भी हो सकते हैं, पर कई ऐसे होते हैं जिनकी ओर पहिले ध्यान हीं नहीं गया था, पर थे बहुत महत्त्वपूर्ण। परिवार की प्रतिष्ठा, संपन्नता, शोभा एवं सहकारिता में किस प्रकार अभिवृद्धि हो, इस ओर सभी का ध्यान बना रहे तो निश्चय ही उस सहकारी योगदान का अच्छा प्रभाव होता है और वह कुटुंब सत्प्रवृत्तियों का

केंद्र बनता है। उस परिकर में से कुरीतियाँ, मूढ़-मान्यताएँ, अनैतिकताएँ, असभ्यताएँ क्रमशः कम होती जाती हैं कि एक दिन ऐसी स्थिति आती है, जब उसे आदर्श गृहस्थ कहे जाने की मान्यता मिलने लगे। दूसरे उसका अनुकरण करने की प्रेरणा लेते रहे।

पारिवारिक सहकारिता उथले स्तर की नहीं होनी चाहिए। उसमें आत्मीयता का गहरा पुट लगा रहना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से तो सहकारी समितियाँ भी कुछ न कुछ योजनाएँ बनाती और उन्हें कार्यान्वित करती रहती हैं, पर उनका लाभ उतने ही छोटे दायरे में सीमित होकर रह जाता है, जबकि पारिवारिक सहकार में एक-दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना पड़ता है और अन्य साथियों की प्रगति में अपनी प्रगति मानकर चलना होता है। इसी भावना के अभिवर्धन से यह सूझ सूझती है कि अपनी सुविधाओं, संभावनाओं को किस प्रकार पूरा करने में सहयोग दिया जा सकता है ? जहाँ इस प्रकार का चिंतन चल रहा होगा, वहाँ उसी स्तर के क्रियाकलाप भी बने बिना नहीं रह सकते। एक-दूसरे का सम्मान करें, हितों का ध्यान रखें, सहयोग देने के लिए, सेवा सहायता के लिए उत्सुक रहें, वहाँ यह हो ही नहीं सकता कि सेवा के बदले सद्भाव न मिले। सेवा के बदले सद्भाव खरीदा जाता है, यह तथ्य सर्वविदित है।

अपना काम पूरे होने पर बचा हुआ समय आवारागर्दी में लगाने की अपेक्षा घर के लोगों को अधिक समुन्नत बनाने में लगाना चाहिए, घर की शोभा व्यवस्था बनाने में जुट जाना चाहिए। इसके लिए कोई दूसरा कार्यक्रम बनाकर नहीं दे सकता है। यह कार्य तो अपनी ही सूझबूझ से तलाशने का है। बड़े क्लास के बच्चे अपने से छोटों को घर पर पढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। घर में कोई अशिक्षित न रहने पाए, इसके लिए जो महिलाएँ कम पढ़ी हों, उन्हें आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उनके पीछे लगकर पढ़ने-पढ़ाने का ढर्डा चल पड़ने तक प्रयत्नरत रहा जा सकता है। जिन्हें किसी प्रकार की रुग्णता है, उनकी परिचर्या में सहयोगी बना जा सकता है। चिकित्सा के लिए भी दौड़-धूप की जा सकती है। घर-आँगन में छोटे-छोटे खेलों का माहौल बनाया जा सकता है और

उसमें जिनकी भी रुचि हो उन्हें समिलित किया जा सकता है। रात्रि को छुट्टी होने पर सत्साहित्य पढ़कर सुनाने का कार्य विचारशील सदस्य अपने कंधों पर ले सकते हैं, किंतु ऐसी समस्याओं पर वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का घर में प्रचलन किया जा सकता है, जो व्यक्ति, परिवार और समाज को समुन्नत बनाने, उसमें घुसी दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन से संबंधित हों।

घर के सभी सदस्य इस बात के लिए प्रयत्नशील रहें कि अपना काम निपटाते हुए साथ ही अन्य परिजनों का हाथ भी बैठाते रहें। सूख जाने पर कपड़ों को समेटने, उन पर लोहा करके जिसको-तिसको सौंपने का कार्य ऐसा ही है, जो अपने जिम्मे काम के साथ-साथ ही इतना सहयोग दूसरों का भी किया जा सकता है। जूतों की मरम्मत कर देना, पालिश लगा देना जैसे काम भी ऐसे हैं, जिनमें कोई अधिक समय नहीं लगता, पर उस छोटे-से सहयोग से ही साथियों का मन जीता जा सकता है और अपनी आत्मीयता का प्रत्यक्ष परिचय दिया जा सकता है।

अपनी नम्रता, विनयशीलता को बनाए रखना सुसंस्कारिता का चिह्न है। इसके साथ ही दूसरों को सम्मान देना भी अविच्छिन्न रूप से जुड़ा रहना चाहिए। इतना शिष्टाचार यदि सर्वदा निवाहा जा सके तो इस व्यवहारकुशलता भर से परिवार में उत्साहवर्धक वातावरण बनता है। सभी छोटे-बड़े के संबंध में 'जी' का, 'आप' का प्रयोग होना चाहिए। बड़ों का रिश्ते के आधार पर संबोधन किया जाए यथा चाचाजी, ताऊजी, दादाजी, बाबाजी, भाईसाहब, भाभीजी आदि। छोटों का नाम लेना हो तो उन्हें आप शब्द से संबोधन करना चाहिए। 'तुम' शब्द का अभिभावकों को संतान के लिए प्रयोग करने तक की छूट रहनी चाहिए। 'तू' का उपयोग तो वे भी न करें। लड़ाई-झगड़े की कर्कशता की तो नौबत ही न आने देनी चाहिए। गाली-गलौज जैसे क्षोभ उत्पन्न करने वाले प्रयोग तो बहुत ही घटिया किस्म के लोगों में प्रयुक्त होते देखे जाते हैं। संग्रांत व्यक्ति अपने परिकर में ऐसा न तो होने देते हैं और न स्वयं इतने नीचे स्तर तक उतरते हैं।

[५६] परिवार निर्माण की विधि-व्यवस्था

स्वच्छता और सादगी को शालीनता का अभिन्न अंग माना जाए। इसके लिए सभी सदस्य एक-दूसरे को प्रोत्साहित करें, उसे ही सराहें। किसी में कोई दुर्गुण उभर रहे हों तो उसे दबाने का काम किसी एक के जिम्मे न छोड़ा जाए वरन् सभी मिल-जुलकर उस प्रयास में अपने-अपने ढंग से प्रयास करें। पर इसमें भी कटुता न आने पाए। अपमान या आक्षेप जैसा अनुभव न करने दिया जाए। ऐसी चर्चा व्यक्तिगत एकांत परामर्श से ही कारगर परिणाम उत्पन्न करती है। यह देखभाल किशोरावस्था के लड़के-लड़कियों के संबंध में विशेष रूप से आवश्यक होती है क्योंकि उनमें जोश बहुत और होश कम पाया जाता है। दूरगामी परिणामों को तो परिपक्व बुद्धि वाले ही देख सकते हैं, उन्हें घर की सीमा में अनुशासन बनाए ही रहना चाहिए।



मुद्रक: युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा